सूचना का अधिकार अधिनियम

के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए

मार्गदर्शिका

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

आयोग प्रकाशन : 33/2016

सूचना का अधिकार अधिनियम
के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम

के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए

मार्गदर्शिका

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का
अधिकार

अनुक्रमणिका

1.	प्रस्तावना	
2.	सूचना का अधिकार	1
3.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	3
4.	उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013	37
5.	लोक सूचना अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका	51
6.	अपील अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका	63
7.	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर	67
8.	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता के लिए निर्देश	79
9.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाएं	83

सूचना का
अधिकार

प्रस्तावना

भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम एक व्यापक प्रभाव वाले उपकरण के रूप में प्राप्त हुआ है। इससे जहां नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है, वही दूसरी ओर सरकार के काम–काज में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व भी बढ़ा है। इसे अधिनियम का सकारात्मक प्रभाव ही कहा जायेगा कि सामान्य नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति, बल्कि जनहित से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के संबंध में भी जागरुक हो गये हैं। साथ ही, शासन–प्रशासन एवं सरकार के भीतर भी जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व की भावना बढ़ गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की सफलता को और अधिक व्यापक रूप से आगे बढ़ाने तथा अधिनियम के सभी साझेदारों (नागरिक, लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा आयोग) के मध्य अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के प्रयोग में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आयोग का यह मानना है कि अधिनियम के प्रत्येक प्राविधान के संबंध में सभी स्तरों पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होना है। ऐसी स्पष्टता होने पर नागरिकों द्वारा अपने सूचना आवेदन पत्रों को सही प्रकार से संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित किया जा सकेगा, लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उनको प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों पर उचित कार्रवाई करते हुये सही एवं स्पष्ट सूचना नियत समय के अंदर आवेदनकर्ता को प्रेषित की जा सकेगी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा उन्हें प्राप्त प्रथम अपीलों का निस्तारण सूचना अधिकार अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के अंतर्गत सही प्रकार से किया जा सकेगा। फलतः नागरिकों को सरलता से सूचना प्राप्त हो सकेगी तथा लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को भली प्रकार से पूर्ण किया जा सकेगा।

इसी विचार को केंद्रित करते हुए आयोग द्वारा यह मार्गदर्शिका जारी की जा रही है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के संबंध में स्पष्टता के साथ–साथ उनके उपयोग की जानकारी दी गयी है। इस पुस्तक में लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा सूचना अनुरोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी निर्देशों का समावेश किया गया है, जिससे सूचना मांगने तथा मांगी गयी सूचना समयान्तर्गत उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही पुस्तक में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में दी गयी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को भी उद्धृत किया गया है।

मैं श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, मा. राज्य सूचना आयुक्त का आभार प्रकट करता हूं जिनके बहुमूल्य सहयोग एवं निर्देशन के फलस्वरूप ही इस मार्गदर्शिका को तैयार किया जा सका है।

आयोग द्वारा इस मार्गदर्शिका का प्रकाशन सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं प्राविधानों के प्रयोग के संबंध में साधारण स्पष्टता न्यायिक समीक्षा की सीमा तक प्रदान की गयी है। मैं आशा करता हूं कि अधिनियम के सभी साझेदारों द्वारा इस मार्गदर्शिका का सही रूप में प्रयोग किया जायेगा जिससे सूचना प्राप्त करने एवं प्रदान करने की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुविधाजन्य बन सकेगी।

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार

1. सूचना का अधिकार भारत के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। मा० उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक रूप है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। सरकार के निर्णय विवेकपूर्ण हैं, जिम्मेदारी से लिये गये हैं, जनता के हित में हैं अथवा सरकार चला रहे जनप्रतिनिधि सत्ता का दुरूपयोग करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्णय ले रहे हैं, सामान्यतः यह आम नागरिक को मालूम नहीं हो पाता है जिससे पारदर्शिता घटती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार के कामकाज की सूचना सुलभ न होने से सरकार में लिये जाने वाले निर्णयों की गुणवत्ता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की प्रबल संभावना रहती है। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रख्यापित करके देश के आम नागरिक को सूचना का अधिकार के अपने मौलिक अधिकार को प्रभावी रूप से उपयोग करने की व्यवस्था बनायी गयी है। उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद भारत का आम नागरिक केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार, उनके नियंत्रणाधीन या उनके द्वारा वित्त पोषित संस्थानों, अधिनियमों द्वारा गठित संस्थानों से लोक हित या लोक क्रियाकलाप से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचनाएं अनुरोध पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर की निर्धारित अवधि में दी जायेंगी। सूचना देने में विलम्ब किये जाने अथवा न दिये जाने पर शास्ति आरोपित की जायेंगी। सभी सूचनाएं जिनका प्रकटन लोक हित में निषिद्ध नहीं है वह अनुरोध किये जाने पर उपलब्ध कराई जायेंगी। कुछ सूचनाएं जिनका प्रकटन लोक हित में नहीं है अथवा देश की सुरक्षा/अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से संबंधित सूचना की मांग करने पर वह सूचनाएं नहीं उपलब्ध करायी जायेंगी। व्यक्तिगत सूचनाएं जो लोक क्रियाकलाप या लोक हित से संबंधित नहीं हैं परन्तु उनका प्रकटन वृहत्तर लोक हित में हो, तब उनका प्रकटन किया जायेगा।

2. सूचना के लिये अनुरोधकर्ताओं के अनुरोध पत्र पर कार्यवाही करने के लिए लोक प्राधिकारियों की प्रशासनिक इकाइयों के कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। इनको लोक प्राधिकारी की इकाई के कार्यालय से सूचना संकलित करके अनुरोधकर्ता को 30 दिन के अन्दर देना होता है। सूचना संकलन के लिए वह अपने कार्यालय के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता ले सकते हैं।

3. दूरस्थ क्षेत्रों में आम नागरिक सूचना के लिए अनुरोध पत्र सुविधापूर्वक लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचा सके या विभागीय अपील को विभागीय अपीलीय अधिकारी तक पहुंचा सके इसके लिए लोक प्राधिकारी के सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसील/विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त किये जाते हैं। सहायक लोक सूचना अधिकारी उन्हें प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों को अथवा प्राप्त होने वाली विभागीय अपीलों को संबंधित लोक सूचना अधिकारी अथवा संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी को अग्रसारित करता है।

4. किसी की व्यक्तिगत सूचनाएं जो लोक हित अथवा लोक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है उन्हें सामान्यतः प्रकट नहीं किया जाना है। इसी प्रकार ऐसी व्यक्तिगत सूचनाएं जिनके प्रकटन से किसी की निजता का अनावश्यक रूप से अतिक्रमण होता हो, का प्रकटन सामान्यतः नहीं होगा। परन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा यह दिखाये जाने पर कि ऐसी निजी सूचना के प्रकटन में वृहत्तर लोक हित है; लोक सूचना अधिकारी, ऐसी व्यक्तिगत सूचनाएं जो लोक हित या लोक क्रियाकलाप से जुड़ी नहीं हैं या जिनके प्रकटन से किसी व्यक्ति की निजता का अनावश्यक रूप से अतिक्रमण होता है,के प्रकटन का निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार तीसरे पक्ष की गोपनीय समझी जाने वाली सूचनाओं के प्रकटन के निर्णय से पूर्व तीसरे पक्ष से उसका पक्ष जानने के लिए अवसर दिया जायेगा। तीसरे पक्ष द्वारा अपना जो पक्ष रखा जायेगा उसको तीसरे पक्ष की सूचना के प्रकटन के लिए विचार में लिया जायेगा।

5. लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों को आम नागरिक को अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग प्रभावी रूप से करने के लिए अधिनियम के द्वारा बनायी गयी व्यवस्था का क्रियान्वयन भलीभाँति करना है। उक्त के लिए आगे मार्गदर्शक निर्देश दिये गये हैं।

सूचना का
अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनाशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

सूचना का अधिकार

अध्याय 1
प्रारम्भिक
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।
(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15 धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं –

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
(क) **"समुचित सरकार"** से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो –
(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ख) **"केन्द्रीय सूचना आयोग"** से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;
(ग) **"केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी"** से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;
(घ) **"मुख्य सूचना आयुक्त"** और "सूचना आयुक्त" से धारा (12) की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;
(ङ) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है –
(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;
(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;
(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक,

(च) **"सूचना"** से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेम विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) **"विहित"** से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) **"लोक प्राधिकारी"** से, –

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है;

और इसके अन्तर्गत, –

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) **"अभिलेख"** में निम्नलिखित सम्मिलित है –

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ञ) **"सूचना का अधिकार"** से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है

(i) कृत, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति से भण्डारित है, अभिप्राप्त करना;

(ट) **"राज्य सूचना आयोग"** से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) **"राज्य मुख्य सूचना आयुक्त"** और **"राज्य सूचना आयुक्त"** से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) **"राज्य लोक सूचना अधिकारी"** से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ढ) **"पर व्यक्ति"** से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी –

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया

जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हैं;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए ;

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण – उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर

सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा;

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता

है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए –

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी,

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है –

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है;

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

अनुरोधों का निपटारा

7. (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के

अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(i). ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण;

(ii). वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और

(iii). अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान– मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना, जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे :

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी विधान–मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच

अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार

9. धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा, जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा।

पृथक्करणीयता

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के, होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी भाग, से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि –

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात्, उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

पर व्यक्ति सूचना।

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना

अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है।

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना अयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी –

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii). लोक सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा शर्तें

13.(1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपने पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें–

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की है :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को, कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

14.(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरूद्ध उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थिति होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त –

(क दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन

15.(1) प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ....(राज्य का नाम) सूचना अयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी –

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा, जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती हैं।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय, राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा शर्तें

16.(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने का पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपने पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को, कम कर दिया जाएगा

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त,

अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहाँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

17.(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थिति होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें राज्यपाल की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक

नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शक्तियां

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य

18. (1) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे–

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है ;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो

वह अनुचित समझता है ;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है ; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को इस बात के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दास्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन 'किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

अपील

19.(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी

विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है–

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना ;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना ;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकारी भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

शक्ति

20.(1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त

कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

परंतु यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

सूचना का अधिकार

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियन के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना

24.(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन

के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

मानीटर करना और रिपोर्ट करना

25.(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्य शीघ्रता से उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा, —

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या ;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष ;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारी की रकम ;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनयम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्य शीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान–मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान–मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना

26.(1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक–

(क) जनता की विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी ;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों

का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एवं मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रानिक डाक पता ;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्त्तव्य ;

(ङ) यथास्थिति, केंन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्त्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल की रीति भी है ;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति

27.(1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

28.(1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचित द्वारा नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना

29.(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी

कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद में सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

30.(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन

31. सूचना स्वतन्त्र अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

सूचना का अधिकार

पहली अनुसूची
[धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जानी वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

" मैं, जो .... मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त / राज्य मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।"

दूसरी अनुसूची
(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1- आसूचना ब्यूरो।

2- मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।

3- राजस्व आसूचना निदेशालय।

4- केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।

5- प्रवर्तन निदेशालय।

6- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।

7- वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।

8- विशेष सीमान्त बल।

9- सीमा सुरक्षा बल।

10- केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।

11- भारत–तिब्बत सीमा बल।

12- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

13- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।

14- असम राइफल्स।

15- विशेष सेवा ब्यूरो।

16- विशेष शाखा (सीआईडी) अंडमान और निकोबार।

17- अपराध शाखा–सीआईडी–सीबी, दादरा और नागर हवेली।

18- विशेष शाखा लक्षद्वीप पुलिस।

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या : 2132/XXXI (13) G-65 (सू0अ0)/2012
देहरादून : दिनांक 28 जून, 2016

अधिसूचना प्रकीर्ण

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 होगा।

   (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं :

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

   (क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

   (ख) "धारा" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है;

   (ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

   (घ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

   (ङ) "बी0पी0एल0" से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रू0 12000/- (रू0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है;

   (च) "प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी" से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

   (छ) "सूचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ें संबंधी सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई

सामग्री, अभिप्रेत है;

(ज) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित है –

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिरूप या प्रतिरूपों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(झ) "सूचना का अधिकार" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

(एक) कृत, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(चार) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिए सूचना विहित करना :

3. राज्य सरकार समय–समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रोनिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्प्यूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा :

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया:

5. (क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) बी0पी0एल0 श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

(ग) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा,

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

(घ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है की वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

(ङ) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को ''सूचना धारित नहीं है'' से अवगत करायेगा।

(च) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरूद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी ''प्ररूप'' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में विचलित न करता हो।

<u>सूचना हेतु शुल्क :</u>

6. (क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रू0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यय से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात,

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रू0 5.00 मात्र (पांच रूपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्ताविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रैजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यय से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात

(एक) सी0डी0 / डी0वी0डी0 पर सूचना दिए जाने हेतु रू0 20.00 मात्र (बीस रूपये मात्र) प्रति सी0डी0 / डी0वी0डी0, और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रू0 2.00 मात्र (दो रूपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :–

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के

सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रूपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वयं के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणीयां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित बी0पी0एल0 कोर्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व :

7. (क) नियम 6 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोधकर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(ख) अनुरोधकर्ता को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।

परन्तु लोक प्राधिकारी वृहत्तर लोक हित में अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1) (ज) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है।

विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील :

8. (क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश

के विरुद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा। अपील के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक होने की दशा में अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यथा सम्भव प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। जहां अपील का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि में न हो तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण 45 दिन से अनधिक अवधि में कर सकेगा। अपील निस्तारण के लिए समय अवधि बढ़ाने के कारण अभिलिखित किए जायेंगे। अपील के निस्तारण आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित के सम्बन्ध रखती है या जिससे व्यक्ति की एकान्ता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(च) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदित सूचना का प्रकटन वृहत्तर जनहित में प्रकटन करना उपयुक्त पाया है या नहीं। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अर्न्गत छूट प्राप्त नहीं है और अधिनियम की धारा 8(1)(ञ), धारा 8(2) के प्राविधानों के अनुसार यह समाधान हो रहा है कि वृहत्तर लोक हित में आवेदित सूचना का प्रकटन किया जाना आवश्यक है तथा अपीलकर्ता तक सूचना निर्गत नहीं की गयी है,

उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराएंगे।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

(ज) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जो 'सूचना' प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, उस सूचना का प्रकटन करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

<u>सूचना आयोग में द्वितीय अपील :</u>

9. (क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपील पर निर्णय लेते समय राज्य सूचना आयोग :–

(एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;

(दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्णक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा;

(तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जाँच करेगा; और

(चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरूद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

(पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित

समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छः) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियो कान्फ्रेन्स से द्वितीय अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फ्रेन्स प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष

रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

(ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड (एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगी: –

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से ;

(दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती ;

(तीन) साधारण डाक द्वारा ; या

(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(पांच) इण्टरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा एस0एम0एस0 द्वारा

(छः) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छः) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पांच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ङ) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रकिया अपनायेगा :–

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाऐंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

(तीन) आयोग का आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपने वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

<u>धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया</u>

10. (क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो।

(ङ) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(च) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली :

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।

(ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तों में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग को पावती भेजेगा।

(घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(ङ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी

प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील पत्रावली में रखी जायेगी।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

कठिनाईयों के दूर करने की शक्ति :

12. यदि इन नियमों के प्रभावी कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

निरसन और व्यावृत्तियां :–

13. (क) उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(ख) खण्ड (क) के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 निरसित किये जाने पर भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत की गयी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई आलेख्य, जहां तक वह इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के अधीन की गई, जारी की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,

सचिव

सूचना का
अधिकार

सूचना का
अधिकार

लोक सूचना अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने या सूचना मांगने के संबंध में अधिनियम की विभिन्न धाराओं की मूल भावनायें क्या हैं उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 में अधिनियम में प्रयोग किये गये नामों तथा शब्दों की परिभाषा दी गयी है। निम्नलिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखें :–

   (क) सूचना

   (ख) लोक प्राधिकारी

   (ग) अभिलेख

   (घ) सूचना का अधिकार

   (च) राज्य लोक सूचना अधिकारी

   (छ) तीसरा पक्ष

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में "सूचना" वह सूचना है जो सामग्री के रूप में है। जिसका भौतिक स्वरूप है। शिक्षक द्वारा कक्षा में दिया गया लैक्चर सूचना नहीं है। शिक्षक के लैक्चर की सी0डी0 सूचना है। अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया मौखिक आदेश "सूचना" नहीं है परन्तु वह आदेश कागज पर छाप कर या लिख कर देने पर "सूचना" है। किसी नाटक के मंचन के दृश्य या मंचन के समय बोले गये संवाद "सूचना" नहीं है। नाटक के दृश्य की वीडियो फिल्म या नाटक के संवाद की सी0डी0"सूचना" है। किसी बैठक में प्रस्तुत किये विचार "सूचना" नहीं है परन्तु बैठक का कार्यवृत्त या बैठक की सी. डी. तैयार करने पर प्रस्तुत किये गये विचारों की सी.डी. "सूचना" है।

3. निजी संस्थानों की सभी सूचनायें चाहे वह सामग्री के रूप में हो, अथवा उसका भौतिक स्वरूप हो "सूचना" नही है। निजी संस्थानों की वह सूचना जो सामग्री के रूप में हो तथा जो किसी कानून के अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी प्राप्त कर सकता है "सूचना" है।

4. लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभाग और उनके सभी कार्यालयों के अतिरिक्त ऐसे निकाय जो सरकार के आदेश या अधिसूचना से स्थापित हुए हों अथवा जो किसी अधिनियम द्वारा गठित हो अथवा जो सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप में वित्त पोषित हों आते हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा स्थापित परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गढ़वाल मण्डल तथा

कुमायूं मण्डल विकास निगम, तराई बीज विकास निगम, जल विद्युत निगम, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन निजी विश्वविद्यालय यथा पेट्रोलियम विश्वविद्यालय।

5. लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत ऐसे गैर–सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप में वित्त पोषित है; अनुदानित गैर–सरकारी विद्यालय; निजी संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं हैं तब वह लोक प्राधिकारी नही होंगी। वित्त विहीन गैर सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी कम्पनियां, फर्म जो उत्पादन या सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है। जैसे हिन्दुस्तान लीवर लि0, एयर टेल, टाटा मोटर्स आदि लोक प्राधिकारी नहीं है।

6. सहकारी समितियां जो सरकार के स्वामित्व की नहीं है या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है अथवा जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप में वित्त पोषित नही है लोक प्राधिकारी नही है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन प्रकटन योग्य सूचना निरीक्षण की जा सकती है या उसकी प्रति या नमूना प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेखों की प्रामाणित, सत्य प्रतिलिपि, सामग्री के प्रमाणित नमूने लिये जा सकते हैं। जो सूचना धारित नही है अथवा नियंत्रण में नही है उस सूचना को सूचना का अधिकार के अन्तर्गत निरीक्षण, या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लोक प्राधिकारी के यहां धारित अभिलेख जो अभिलेख प्रबन्ध के अन्तर्गत अभिलेखों को नष्ट करने के लिए निर्धारित अवधि के अनुसार नष्ट कर दिये गये अथवा लोक प्राधिकारी के कार्यालय/इकाई के अभिलेखों से हटा दिये गये "सूचना का अधिकार" के अन्तर्गत उनकी प्रतियाँ प्राप्त नहीं की जा सकती।

8. सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसील, विकास खण्ड या अन्य दूरस्थ स्थानों पर नामित किये जायेंगे। इनका कार्य दूरस्थ क्षेत्र के नागरिकों से प्राप्त सूचना के लिए अनुरोध पत्र, अपील, द्वितीय अपील को लोक सूचना प्राधिकारी, अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग को 5 दिन के अन्दर भेजना है। लोक सूचना अधिकारी की सहायता के लिये लोक प्राधिकारी या उसकी प्रशासनिक इकाई/कार्यालय में जहां लोक सूचना अधिकारी तैनात है, वहाँ सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं किया जा सकता है।

9. लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है। जैसे कार्यालय में पटल सहायक जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख है उससे सूचना के अभिलेख की छायाप्रति तैयार कराकर उपलब्ध कराने के लिए सहायता लेना। इसी प्रकार सक्षम प्राधिकारी से सूचना की

छायाप्रति प्राप्त करने के लिए अनुमति देने के लिए अनुरोध करना, सक्षम अधिकारी से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सहायता प्राप्त करना है। कम्प्यूटर से मांगी गई सूचना की सी0डी0 तैयार करने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर से सी०डी० तैयार करने के लिए सहायता लेना। सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सूचना निर्धारित समय के अन्दर अनुरोधकर्ता को मिले इसका पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण लोक सूचना अधिकारी ही रखेगा। वह प्रयत्न करके निर्धारित 30 दिन की अवधि से पूर्व अनुरोधकर्ता को सूचना देगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए अन्य व्यक्ति, जिसकी सहायता वह ले सकता है, पर सूचना देने की जिम्मेदारी नहीं डालेगा अनुरोधकर्ता को सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही भेजी जायेगी। अन्य कोई अधिकारी लोक सूचना अधिकारी पदनाम से या अन्य किसी पदनाम से अनुरोधकर्ता को सूचना नहीं भेजेगा।

10. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में प्रकटन योग्य सूचना जब अनुरोधकर्ता को नहीं दी गयी अथवा विलम्ब से दी गयी तब द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अन्य व्यक्ति जिसकी सहायता मांगी गयी वह व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी है। लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में बताना होगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता को निर्धारित 30 दिन में सूचना देने के लिए जिन अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता ली, उनसे जो सहायता मांगी गयी उसे प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा क्या प्रयत्न किये गये और उसके प्रयत्न करने पर भी अन्य व्यक्ति द्वारा सहायता न देने अथवा अनुचित विलम्ब करने पर उसके द्वारा सूचना निर्धारित समय में अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया। लोक सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नही होने पर सूचना आयोग द्वारा शास्ति आरोपण लोक सूचना अधिकारी पर किया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक होने पर अन्य व्यक्ति (यों) जिनके द्वारा लोक सूचनाधिकारी को सम्यकरूप से सहायता नहीं दी गयी, सूचना आयोग उन पर शास्ति आरोपित करेगा।

11. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए अनुरोध पत्र जिसमें अन्य बहुत से लोक प्राधिकारियों में धारित सूचना के लिए अनुरोध किया गया है अथवा किसी वृहद लोक प्राधिकारी की अन्य बहुत सी प्रशासनिक इकाइयों में धारित सूचनाओं के लिए अनुरोध किया गया है, या ऐसी सूचना के लिए जो अन्य लोक प्राधिकारियों या वृहद लोक प्राधिकारी के अन्य बहुत सी प्रशासनिक इकाइयों / कार्यालयों के कृत्यों से अधिक निकट से सम्बन्धित हो तो सूचना के लिए अनुरोध पत्र अनुरोधकर्ता को वापस भेज दिया जायेगा। अनुरोधकर्ता को कहा जायेगा कि वह उन लोक प्राधिकारियों या उन प्रशासनिक इकाईयों / कार्यालयों से सूचना के लिए उनके लोक सूचना अधिकारियों को पृथक–प्रथक अनुरोध पत्र प्रेषित करके सूचना प्राप्त कर सकता है।

12. लोक सूचना अधिकारी को यह स्पष्ट ज्ञात न हो कि सूचना के अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अन्य किस लोक प्राधिकारी के द्वारा धारित है तो अनुरोधकर्ता को तदनुसार उस सूचना को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से प्राप्त करने के लिए पत्र भेज दें, जिससे अनुरोधकर्ता को बता दिया जावे कि अनुरोध की गयी सूचना किस लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है यह लोक सूचना अधिकारी को भलीभांति ज्ञात नहीं है।

13. जब सूचना अनुरोधकर्ता को दिये जाने का निर्णय ले लिया गया हो तब सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क के साथ सूचना के लिए निर्धारित शुल्क के आधार पर पूर्ण सूचना के कुल शुल्क की गणना का विवरण देते हुए सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को पत्र भेजा जायेगा। यह पत्र यथासम्भव सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाये। सूचना बड़ी होने पर एक सप्ताह से अधिक समय लिया जा सकता है परन्तु सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के बाद सूचना के लिए शुल्क नहीं माँगा जा सकता।

14. प्रस्तर 13 में सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क तथा सूचना के लिए कुल शुल्क की संगणना का विवरण का पत्र भेजने के दिन से पत्र में उल्लिखित शुल्कों के भुगतान के मध्य की अवधि सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिन की अवधि में गणना नहीं की जायेगी।

15. सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क तथा सूचना के लिए शुल्क सहित कुल शुल्कों के लिए तथा जिस रूप में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी उसके पुर्नविचार के अनुरोध का अधिकार तथा अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पता आदि का विवरण भी अनुरोधकर्ता को भेजे जाने वाली अतिरिक्त सूचना के लिए शुल्क के पत्र में सूचित किया जायेगा।

16. सूचना जिस रूप (Form) में मांगी गयी उस रूप (Form) में उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनअनुपाती व्यवर्तन हो रहा हो या अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के लिए उपयुक्त न हो तो जिस रूप (Form) में सूचना मांगी गई है उसके स्थान पर अन्य उपयुक्त रूप में सूचना उपलब्ध कराई जायेगी। उदाहरण के लिए कम्प्यूटर पर रखी गई सूचना की प्रिंट प्रतियां जो हजारों पृष्ठों में हों, अनुरोध करने पर प्रतियों के स्थान पर सी०डी० के रूप में हजारों पृष्ठ की सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं। एक अभिलेख जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है उसकी छायाप्रति के लिए अनुरोध किया हो और अभिलेख ऐसा है जिसकी छायाप्रति बनाने में उष्मा से अभिलेख के नष्ट होने की सम्भावना बढ़ जाये तब छायाप्रति देने के स्थान पर उसके निरीक्षण के लिए अनुरोधकर्ता को कहा जा सकता है।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) व धारा 9 निम्नांकित है :—

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो,

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकारी का भंग कारित होगा।

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

(ङ) किसी व्यक्ति को उसी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, तब उपलब्ध नहीं करायी जायेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा।

(ज) सूचना, जिसके अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी।

(झ) मंत्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है।

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे।

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अन्तर्गत आते है, प्रकट नहीं किए जाएंगे।

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर

अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधानमण्डल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

9. कतिपय मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति के आधार–धारा–8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ अस्वीकार कर सकेगा, जहाँ पहुँच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लघंन अन्तर्वलित करेगा।

(I) सूचना के लिए अनुरोध पत्र में जो सूचना धारा 8(1) तथा धारा 9 में प्रकटन से छूट प्राप्त है उस सूचना के अलावा अन्य सूचना के लिए अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को सूचना शुल्क भुगतान करके निर्धारित 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी है।

(II) व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप या लोक हित से जुड़ी हो प्रकटन से छूट प्राप्त नही है। उदाहरण स्वरूप सरकार के नियंत्रणाधीन विभाग में सेवा के पदों पर भर्ती में आवेदनकर्ता की शैक्षिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, परीक्षा में प्राप्त अंक, प्रवीणता क्रम में व्यक्ति का स्थान की सूचना।

(III) व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप या लोक हित से संबंधित नही है उसका प्रकटन तभी किया जायेगा जब अनुरोधकर्ता यह दिखा पाये कि अनुरोध की गयी सूचना का प्रकटन बृहत्तर लोक हित में है यदि सूचना प्रकटन बृहत्तर लोक हित में है नहीं दिखाया जा सका है तब व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन नही होगा। वार्षिक चरित्र प्रविष्टि, चिकित्सा उपचार का विवरण, सरकारी सेवक का स्थाई पता, जाति, धर्म, अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण आदि।

18. जिस अभिलेख अथवा सामग्री को कार्यालय अभिलेख प्रबन्ध के निर्देशों / नियमों में जितने समय बाद किसी अभिलेख के नष्ट करने अथवा उसे हटाने का प्रावधान है वह अभिलेख या सामग्री उतने समय बाद ही नष्ट की जायेगी अथवा हटायी जायेगी। जब तक अभिलेख या सामग्री लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है और वे नष्ट या हटाये नहीं गये हैं तब तक ही सूचना के लिए अनुरोध करने पर सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। उदाहरण के लिए एक पंजिका बन्द करने के 5 वर्ष बाद तक रखे जाने के निर्देश हैं। यह पंजिका बन्द करने के 5 वर्ष बाद विनिष्ट की जा सकेगी। पंजिका बन्द होने के बाद 5 वर्ष के अन्दर पंजिका की

छायाप्रति मांगें जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। इस पंजिका के विनिष्ट होने के बाद सूचना के लिए अनुरोध करने पर अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जायेगा कि सूचना का अभिलेख नियमानुसार विनिष्ट किया जा चुका है एवं सूचना धारित नही है।

19. तीसरे पक्ष की गोपनीय सूचनाएं अनुरोध किये जाने पर तीसरे पक्ष को सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर पत्र भेजकर सूचना प्रकटन करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष 10 दिन में रखने के लिए भेजा जायेगा। सूचना का प्रकटन करने के लिए निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष ने जो कथन किया है उसे ध्यान में रखा जायेगा। तीसरे पक्ष द्वारा सूचना प्रगटन पर आपत्ति करने मात्र के आधार पर सूचना प्रगटन से अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

20. तीसरे पक्ष की व्यापारिक तथा व्यावसायिक गुप्त बातों को जो विधि द्वारा संरक्षित हैं तभी प्रकट की जायेगी जब सूचना के लिए अनुरोधकर्ता यह समाधान करा दे कि उनका प्रकटन वृहत्तर लोक हित में है।

21. ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किये जाने पर जिसका कुछ अंश प्रकटन से छूट प्राप्त है तथा कुछ अंश प्रकट नहीं किया जा सकता है तब जो सूचना अंश प्रकटन से छूट प्राप्त है उस अंश का प्रकटन से छूट को प्रभावित किये बिना जो सूचना का अंश अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराया जा सकता है वह सूचना का अंश उपलब्ध कराया जायेगा।

22. सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी चरणवार निम्नलिखित रूप से कार्यवाही करे :–

(1) सूचना के लिए अनुरोध पत्र के साथ अनुरोध पत्र के लिए निर्धारित शुल्क भुगतान की पुष्टि का अभिलेख है? इसकी पुष्टि करेंगें यदि नही है तो अनुरोधकर्ता को उक्त से अवगत कराया जाये और बताया जाये कि अनुरोध पत्र पर शुल्क भुगतान न होने के कारण सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आवेदन शुल्क की जाँच के बाद यह समाधान करा जाये कि अनुरोधकर्ता नागरिक है या नहीं। संस्थाएं, कम्पनियां नागरिक नहीं है। नागरिक न होने पर अनुरोधकर्ता को अवगत करा दें कि अनुरोध नागरिक द्वारा नहीं किया गया है अत: सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। परन्तु संस्था, कम्पनी का पदाधिकारी स्वयं के नाम से सूचना के लिए अनुरोधकर्ता है तब उसके नागरिक होने के कारण सूचना उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा।

(3) नागरिक द्वारा शुल्क के साथ सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर

अनुरोध पत्र को शासनादेश संख्या 146 दिनांक 22/03/2006 में निर्धारित प्ररूप के अनुसार तैयार पंजिका में दर्ज किया जाये तथा प्राप्ति की तिथि तथा सूचना देने के लिए निर्धारित अवधि कब समाप्त होगी इसे सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर मोटे रूप (Bold) में अंकित किया जाये तथा पंजिका में भी प्रविष्टियां की जायें।

(4) सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 2—3 दिन के अन्दर यह जाँच लिया जाये कि अनुरोध पत्र में जो सूचनाएं मांगी गई हैं वह लोक प्राधिकारी में धारित है या उसके नियंत्रण में है या नहीं। जो सूचना के बिन्दु लोक प्राधिकारी के कार्यालय/इकाई में धारित सूचना से सम्बन्धित हैं उन्हें चिन्हित करके शेष सूचना के बिन्दु किस अन्य लोक प्राधिकारी (रियों) में धारित सूचना से सम्बन्धित हैं उन्हें चिन्हित कर लें। यदि अन्य लोक प्राधिकारी कौन है, यह स्पष्ट ज्ञात न हो तब सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को उन सूचना के बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत करा दें कि यह सूचना के बिन्दु किस लोक प्राधिकारी के कार्यालय/इकाई में धारित हैं लोक सूचना अधिकारी को ज्ञात नहीं है कृपया अनुरोधकर्ता स्वयं सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से सूचना के लिए अनुरोध कर लें।

(5) सूचना के लिए अनुरोध पत्र लोक प्राधिकारी के उच्चतर प्रशासनिक इकाई/कार्यालय को प्राप्त होने पर यह देख लिया जाये कि क्या अनुरोध की गयी सूचना अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में धारित सूचना है। यदि हां, तब सूचना के लिए अनुरोध पत्र को अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों को अन्तरित नहीं किया जायेगा। यदि सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी से अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है तब लोक सूचना अधिकारी यदि सूचना कार्यालय में धारित नहीं है तब सूचना के अनुरोध पत्र को अन्य कार्यालय जहाँ सूचना धारित है या जिस कार्यालय के नियंत्रण में सूचना है, अन्तरण नहीं किया जावेगा। अनुरोधकर्ता को केवल सूचित कर देंगे कि उनके कार्यालय में सूचना धारित नहीं है।

(6) अन्य लोक प्राधिकारी (रियों) में धारित सूचना से संबंधित बिन्दुओं को देख लें कि यह क्या एक अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है या अनेकों लोक प्राधिकारियों से। एक से संबंधित होने पर उस लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को उन बिन्दुओं की सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित कर दें तथा सूचना अन्य लोक प्राधिकारी से प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर्ता को भी अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित कर दिया गया है उसे अवगत करा दें।

(7) सूचना के अन्य बिन्दुओं की सूचना अनेक लोक प्राधिकारियों में धारित

होने की दशा में सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस कर दें और अवगत करा दें कि अन्य लोक प्राधिकारियों से वह स्वयं सूचना के लिए अनुरोध करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(8) लोक सूचना अधिकारी यह देखे कि लोक प्राधिकारी के कार्यालय/इकाई में धारित सूचना में से सूचना के लिए अनुरोध पत्र के सूचना के बिन्दुओं की सूचना धारा 8(1) तथा धारा 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है या नहीं। जो सूचना के बिन्दु की सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है या छूट प्राप्त नहीं है उन्हें चिन्हित कर लें। सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना के बिन्दुओं में से कौन से बिन्दु ऐसी सूचना के सम्बन्ध में है जो अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्रगटन वृहत्तर लोक हित में है दर्शाने पर सूचना प्रकट की जा सकती है। उन्हें चिन्हित कर लें। ऐसे सूचना के बिन्दु जिनकी सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है उनके संबंध में अनुरोधकर्ता को तदनुसार अवगत कराने के लिए तथा जिन सूचना के बिन्दुओं की सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त नही है उसकी सूचना का शुल्क की संगणना कर लें तदुपरान्त सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को अवगत करा दें कि कौन से बिन्दु सूचना के प्रकटन से छूट किन प्रावधानों के अंतर्गत है। सूचना के कौन से बिन्दु की सूचना किन प्रावधानों के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है परन्तु सूचना का प्रगटन वृहत्तर लोक हित में है यह अनुरोधकर्ता दिखाये तो सूचना के प्रकटन पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है। जिन बिन्दुओं की सूचना दी जानी है उसको उपलब्ध कराये जाने की लागत स्वरूप अतिरिक्त शुल्क कितना है तथा सूचना का निर्धारित शुल्क की संगणना का विवरण अंकित करते हुए अनुरोधकर्ता को शुल्कों के भुगतान तथा वृहत्तर लोक हित अवगत कराने के लिए पत्र भेजा जाये।

(9) सूचना के लिए अनुरोध पत्र में लोक प्राधिकारी कार्यालय/इकाई में धारित सूचना के ऐसे बिन्दु जिसका कोई अंश प्रकटन से छूट प्राप्त है उसके संबंध में उक्त प्रस्तर 7 के अंतर्गत पड़ताल करके अनुरोधकर्ता को भेजे जाने वाले पत्र में धारा 10 के अनुसार उसका विवरण अंकित किया जायेगा।

(10) तीसरे पक्ष की सूचना के लिए अनुरोध किये जाने पर यह जाँचा जावेगा कि तीसरे पक्ष की जो सूचना अनुरोध की गयी है वह किसी व्यक्ति की है अथवा संस्था की। किसी व्यक्ति की ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या लोक हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजिता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा तब अनुरोध की गयी सूचना के लिए तीसरे

पक्ष को सूचना के प्रकटन के लिए नोटिस नहीं दी जावेगी। अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध की गयी सूचना के प्रकटन से वृहत्तर जनहित की पूर्ति होना दिखाने पर ही अनुरोध की गयी सूचना दी जावेगी। किसी व्यक्ति का स्थायी निकास, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, किसी सरकारी सेवक की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टियाँ, किसी व्यक्ति का रोग और उसके उपचार का विवरण अनुरोधकर्ता द्वारा वृहत्तर जनहित की पूर्ति होना दिखाने पर ही उसे दिया जायेगा। जहाँ तीसरा पक्ष व्यक्ति या संस्था से है उसकी ऐसी सूचना अनुरोध की जा रही है जो व्यक्ति या संस्था से सम्बन्धित है या सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था द्वारा लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है, और वह व्यक्ति या संस्था उस सूचना को गोपनीय मानती है तब लोक सूचना अधिकारी यह विचार करेगा कि सूचना उपलब्ध कराने में जो लोक हित है वह उस व्यक्ति या संस्था को सूचना के प्रकटन होने वाली क्षति से अधिक है या नहीं / लोक हित अधिक पाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना क्यों प्रकट न की जाये इस पर अपना पक्ष रखने का नोटिस अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर देगा। उत्तर देने के लिए नोटिस प्राप्ति से 10 दिन का समय देगा। तीसरे पक्ष के उत्तर प्राप्त होने पर उसे जाँचेगा। यदि यह प्रतीत होता है कि सूचना प्रकटन में जो लोक हित है वह उस तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति से अधिक है तब सूचना अनुरोधकर्ता को दे दी जायेगी। अन्यथा नही। सूचना न देने का निर्णय अनुरोधकर्ता को सकारण उत्तर दे कर सूचित किया जावेगा।

(11) सूचना के लिए अनुरोध पत्र के ऐसे बिन्दु जो तीसरे पक्ष की सूचना है उसके लिए तीसरे पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पृथक पत्र सूचना के लिए अनरोध पत्र भेजने के 5 दिन के अन्दर उक्तानुसार भेज दें। इस पत्र को भेजने के लिए केवल 05 दिन का समय का प्राविधान अधिनियम में है।

(12) अनुरोधकर्ता को दी जाने वाली सूचना के लिए मांगे गये शुल्कों का भुगतान सूचित होने पर उन बिन्दुओं की सूचना अनुरोधकर्ता को भेज दी जाये।

(13) सूचना के बिन्दु जिनमें अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना के प्रगटन से वृहत्तर जनहित की पूर्ति होती है दिखाने पर सूचना के प्रकटन पर विचार किया जाना है उन पर अनुरोधकर्ता द्वारा उनको दिये गये समय में जो कथन प्राप्त हो उसे प्रकटन के निर्णय करते समय विचार में ले कर निर्णय किया जाये। यदि निर्णय यह है कि सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है तथा अनुरोधकर्ता सूचना के प्रगटन से कोई वृहत्तर जनहित की पूर्ति होती है, नहीं दर्शा पाया है तदनुसार सकारण अनुरोधकर्ता की सूचना अस्वीकार

कर दी जायेगी। यदि किसी बिन्दु की सूचना को वृहत्तर जनहित में प्रकटन का निर्णय लिया जाता है तब उसके प्रकटन के लिए धारा 7(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप शुल्कों की मांग की जायेगी। तीसरे पक्ष की सूचना अथवा व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप या लोक हित से संबंधित नहीं है उसकी सूचना होने की दशा में सूचना के प्रगटन से अस्वीकार के समन्वय में अनुरोधकर्ता को निर्णय का आधार अवगत कराते हुए अपील के लिए अपीलीय प्राधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) सूचना के लिए शुल्क मांगने और शुल्क भुगतान के मध्य की अवधि की गणना सूचना उपलब्ध कराने हेतु 30 दिन की अवधि में नहीं की जायेगी। जिस दिन शुल्क मांगने का पत्र भेजा जाये उस तिथि का विवरण सूचना के लिए अनुरोध पत्र के ऊपर मोटे रूप में अंकित कर लें तथा यह गणना भी कर लें कि सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने से कितने दिन निकल गये हैं। इसे भी सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर मोटे रूप में दर्ज कर लें। जब भुगतान की सूचना प्राप्त हो उसी दिन यह जॉच लें कि सूचना उपलब्ध कराने के लिए कितने दिन उपलब्ध हैं और उस अवधि में सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा दें। सूचना उपलब्ध कराने में लापरवाही के कारण विलम्ब होने पर सूचना के लिए लिया गया शुल्क अनुरोधकर्ता को वापस करना होगा।

(15) लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपील तथा द्वितीय अपील में यथासम्भव स्वयं अन्यथा जो मामले की अच्छी जानकारी रखता हो वह मामले के अभिलेख के साथ विभागीय अपील में तथा द्वितीय अपील में अवश्य उपस्थित होवे।

(16) सूचना के अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना में ऐसी भी सूचना मांगी जाती है जो धारित नहीं है तथा नियंत्रण में भी नहीं है, तब अनुरोधकर्ता को अवगत करा देना चाहिये कि सूचना धारित नहीं है।

(17) कभी–कभी सूचना के लिए अनुरोध पत्र में सूचना आंशिक रूप से धारित होती है। तब धारित मांगी गयी सूचना वाला अंश की सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जाये तथा जो मांगी गयी सूचना का अंश धारित नहीं है उसके संबंध में अनुरोधकर्ता को अवगत करा दिया जाये।

(18) सूचना के अंतर्गत निजी संस्थान जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं है की वह सूचना जो किसी कानून के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है उसे लोक प्राधिकारी निजी संस्थान से प्राप्त करके या पूर्व से धारित है तब अनुरोधकर्ता को लोक सूचना अधिकारी वह सूचना उपलब्ध करायेगा। जो सूचना किसी कानून

के अंतर्गत निजी संस्थान से मांगी नहीं जा सकती है वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना नहीं है उसे प्राप्त करके अनुरोध कर्ता को देने की आवश्यकता नहीं है। निजी संस्थान की सूचना के लिए अनुरोध पत्र निजी संस्थान को अन्तरित नहीं किया जायेगा। वह लोक प्राधिकारी नहीं है।

(19) निजी संस्थान जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं है लोक प्राधिकारी की परिभाषा से अच्छादित हैं निजी संस्थान में धारित सूचना के लिए अनुरोध पत्र निजी संस्थान के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित होगा।

(20) सूचना के लिए अनुरोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रारूप–पत्र बनाकर उस प्रारूप पत्र पर सूचना मांगते हैं। सूचना जिस रूप में धारित है उसी रूप में दी जा सकती है। धारित सूचनाओं से अनुरोधकर्ता के प्रारूप के अनुसार नई सूचना तैयार करके नहीं देनी होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नयी सूचना गठित करके अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

(21) सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार सूचना का प्रारूप निर्धारित करके सूचना मांगी जाये तब यदि मांगी गयी सूचना भिन्न–भिन्न अभिलेखों में आंशिक रूप से उपलब्ध है तब अनुरोधकर्ता को वास्तविक स्थिति बताते हुए समस्त आंशिक सूचना उन्हें उपलब्ध करायी जा सकती है का तथ्य बता दिया जाय उसके लिए समस्त आंशिक सूचनाओं का सूचना शुल्क की गणना करके कुल शुल्क का विवरण अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायें। अपने स्तर पर भिन्न–भिन्न अभिलेखों से अनुरोधकर्ता की इच्छानुसार मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए नयी सूचना का गठन न किया जाये। सूचना गठन करके उपलब्ध कराने के लिए सूचना शुल्क की मांग न की जावे।

(22) सूचना के अनुरोध पत्र में प्रश्न करके उत्तर के रूप में सूचना माँगने

अथवा कुछ तथ्य अंकित करके उन पर लागू शासनादेश/नियम की माँग करने, अथवा धारित सूचना का विश्लेषण कर निष्कर्ष को सूचना के रूप में अनुरोध करने पर सूचना के रूप में उत्तर नहीं दिये जायेंगे। दिये गये तथ्यों पर लागू होने वाले नियम/शासनादेश को लोक सूचना अधिकारी चिन्हहित करके नहीं उपलब्ध करायेगा। धारित सूचना जिसे अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध किया है तथा जो प्रकटन से निषिद्ध नहीं है वह अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा दी जावेगी।

अपीलीय अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका

1. अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने पर उसे शासनादेश संख्या 146 दिनांक 22/03/2006 में निर्धारित प्ररूप के अनुसार तैयार पंजिका में दर्ज करना चाहिए। पंजिका में अपील के प्राप्त होने का दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अपील के मुख पृष्ठ पर ऊपर अपील प्राप्त होने का दिनांक अंकित किया जाना चाहिए।
2. अपील का निस्तारण अपील प्राप्त होने के 30 दिन में होना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए निस्तारण की अवधि 15 दिन और बढ़ाई जा सकती है। अपील प्राप्त होने के बाद अधिकतम 45 दिन में निस्तारित की जा सकती है।
3. अपील निस्तारण के लिए अधिकतम अवधि 45 दिन उपरान्त अपील का निस्तारण अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है।
4. अपील का निस्तारण मामले के तथ्यों को देखकर किया जाना चाहिए। बिना मामले के तथ्यों को जाने आदेश करना कि "अनुरोध करी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में/पन्द्रह दिन में उपलब्ध करा दें", उचित नहीं है।
5. अपीलीय प्राधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी को लोक सूचना अधिकारी पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिए।
6. अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी को उपस्थित होने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है। लोक सूचना अधिकारी स्वयं या मामले से भली भांति भिज्ञ अन्य अधिकारी को अपील के विचारण में मामले के अभिलेखों के साथ उपस्थित हो और अपील के सुचारू रूप से निस्तारण में सहायता के लिए उपस्थित हो इसके निर्देश दिये जाने चाहिए।
7. अपील में सुनवायी करते समय सूचना के लिए अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस पर की गई कार्यवाही तथा अन्य मामले के अभिलेख अवश्य देखने चाहिये। मामले में अनुरोध की गयी सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति देखकर सूचना के प्रत्येक बिन्दु के सम्बन्ध में आदेश करना चाहिये।
8. अपील प्राप्त होने पर दो दिन के अन्दर अपील में सुनवायी की तिथि, जो 10 या 12 दिन बाद की हो, निर्धारित करके उसकी सूचना का नोटिस अपीलार्थी को उसी दिन डाक में भेज देना चाहिए। अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी को मामले के अभिलेखों के साथ स्वयं या मामले से भिज्ञ अन्य अधिकारी की उपस्थिति के नोटिस उसी दिन डाक से भेजना चाहिए। टेलीफोन से भी लोक सूचना अधिकारी को सुनवायी की तिथि पर मामले के अभिलेखों के साथ स्वयं या मामले से भिज्ञ कार्मिक के उपस्थित होने के लिए कहना चाहिये।
9. सुनवाई की तिथि लगाते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि सुनवायी की

तिथि की डाक दोनों पक्षों को समय से प्राप्त हो सके।

10. अपील में सुनवाई की तिथि पर सुनवाई करना किन्ही अपरिहार्य कारणों से सम्भव न हो तो उसी दिन सुनवाई की तिथि निर्धारित करके दोनों पक्षों को नयी तिथि की लिखित सूचना भेज देना चाहिये। लोक सूचना अधिकारी को टेलीफोन से भी अवगत करा देना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा फोन न0 या ई मेल एकाउण्ट दिया हो तो इसके द्वारा भी त्वरित रूप से सुनवायी की तिथि सूचित की जाय।

11. लोक सूचना अधिकारी या अन्य भिज्ञ अधिकारी के उपस्थित न होने को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। पूर्व सूचना के बिना अनुपस्थिति को उनके नियंत्रक प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

12. अपील के विचारण के लिए लोक सूचना अधिकारी या अन्य भिज्ञ अधिकारी के उपस्थित न होने पर अपीलार्थी से सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर व अपीलार्थी को प्राप्त सूचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करके सूचना के लिए शेष रह गये प्रत्येक बिन्दु के संबंध में सुस्पष्ट आदेश किये जाने चाहिए।

13. अपीलीय प्राधिकारी को देखना चाहिये कि जो सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गयी है उस सूचना को अपीलार्थी को न देने के लिए औचित्यपूर्ण कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को दिये गये हैं।

14. अपील प्राप्त होने पर दर्ज करने के बाद जॉच लें कि अपील पत्र के साथ सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी का उत्तर संलग्न किया गया है। यदि उक्त संलग्न नहीं किये गये हैं तो अपीलार्थी को उनकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा जाय।

15. अपील विचारण करते समय अपील पत्र के साथ सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी का उत्तर पत्रावली में नही है तब लोक सूचना अधिकारी या अन्य मामले से भिज्ञ अधिकारी से इसकी प्रति प्राप्त करके पत्रावली में रखा जाय।

16. अपील के विचारण के समय अपील में जिस बिन्दुओं को उठाया गया है उसको ही विचार करके अपील का निस्तारण किया जाना चाहिये।

17. प्रायः अपील में कोई बिन्दु विशेष नहीं उठाया जाता। सूचना न मिलने, सूचना अपूर्ण, भ्रामक अथवा असत्य होने के कथन किये जाते हैं। उक्त स्थिति में प्रत्येक सूचना के बिन्दु का परीक्षण अपीलीय प्राधिकारी को करना चाहिए।

18. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में ऐसे सूचना के बिन्दु जो ऐसी सूचना के लिए है जो लोक प्राधिकारी में धारित सूचना उपलब्ध कराने के लिए नहीं है उनके संबंध में समाधान करना चाहिये कि सूचना के यह बिन्दु वास्तव में लोक प्राधिकारी में धारित सूचना से संबंधित नहीं हैं। उनके संबंध में सूचना के इस लोक प्राधिकारी से उपलब्ध कराने के लिए अपील में कथन करने पर उसे

अस्वीकार किया जाना चाहिए।

19. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में ऐसे सूचना के बिन्दु जिनकी सूचना लोक प्राधिकारी में धारित होती है उनकी सूचना ना उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी ने कारण दिये हैं वह औचित्यपूर्ण है। किसी बिन्दु की सूचना अपूर्ण उपलब्ध कराना कहा गया है तो देखा जाना चाहिए कि सूचना क्या अनुरोध की गयी तथा लोक सूचना अधिकारी ने क्या उपलब्ध कराई। भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने का कथन की भी जांच इसी प्रकार की जानी चाहिए कि सूचना के लिए अनुरोध पत्र में क्या सूचना मांगी गई क्या दी गयी। क्या दी गयी सूचना वास्तव में सही सूचना नहीं है? इसी प्रकार जिस सूचना को असत्य कहा जा रहा है क्या वह उस बिन्दु पर धारित सूचना से भिन्न सूचना है।

20. अपील के विचारण में यह देखना चाहिए कि सूचना के लिए अनुरोध पत्र कब प्राप्त हुआ? सूचना 30 दिन की अवधि में दी गयी या नहीं? जो सूचना दी जानी चाहिए और 30 दिन के बाद भी नहीं दी गयी है वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आदेश करने चाहिए।

21. सूचना के अनुरोध पत्र का अन्तरण धारा–6 (3) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है अथवा बहुत से लोक प्राधिकारियों / प्रशासनिक इकाइयों को किया गया है। इस लोक प्राधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्यत्र से अन्तरण से प्राप्त हुआ है। अन्यत्र से अन्तरण हो कर प्राप्त होने पर किसी बिन्दु की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ने पुनः सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरण किया है, यदि हां तो इस कार्यवाही को निरस्त करके सूचना के लिए अनुरोध पत्र के उस बिन्दु की सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को वापस करने के निर्देश किये जाने चाहिए।

22. सूचना के शुल्क की मांग करने पर अनुरोधकर्ता द्वारा शुल्क भुगतान किये बगैर अपील यह कहते हुए कि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई प्रस्तुत की जाती है। ऐसी अपील पोषणीय नहीं होती। अपीलार्थी ने स्वयं सूचना के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया है। ऐसी अपील पोषणीय न होने के आधार पर खण्डित कर देना चाहिए।

23. अपील में अपीलीय अधिकारी को देखना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के लिए अनुरोध पत्र ऐसे गैर सरकारी संगठन, जो लोक प्राधिकारी नहीं हैं, उसको सूचना के लिए अनुरोध पत्र का अन्तरण तो नहीं किया गया है। ऐसा अन्तरण अनुचित है। जो संस्थान लोक प्राधिकारी नहीं है उसकी धारित सूचना उस संस्थान से प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल निजी संस्थान की ऐसी सूचना जो किसी कानून में लोक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है निजी संस्थान से प्राप्त कर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जा सकती है। निजी संस्थान की अन्य सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में "सूचना" नहीं है। निजी संस्थान की सूचना संस्थान से मांग कर भी अनुरोधकर्ता को उपलब्ध

नहीं कराई जा सकती। अपील में यह देखा जाये कि निजी संस्थान की जो सूचना अनुरोधकर्ता ने मांगी है क्या वह किसी कानून के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी को प्राप्त हो सकती है? यदि नहीं तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना मांगने के पत्र को निरस्त करना चाहिए और विभागीय अपील में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए अनुरोध पत्र को निरस्त करने को उचित मानना चाहिए।

24. अपील में अपीलीय प्राधिकारी को यह देखना चाहिए कि तीसरे पक्ष की सूचना देने अथवा न देने का आदेश दिये जाने से पूर्व तीसरे पक्ष को धारा 11 के अनुसार पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया अथवा नहीं। तीसरे पक्ष द्वारा जो पक्ष रखा उसे लोक प्राधिकारी ने सूचना देने के निर्णय लेते समय विचार में रखा। तीसरे पक्ष की सूचना न देने के विरूद्ध सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा अपील में तीसरे पक्ष को भी पक्षकार अवश्य बना कर तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन न करने के बिन्दु पर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

25. अपील के विचारण में यह देखा जाना चाहिए कि ऐसी सूचना के लिए अनुरोध तो नहीं किया गया जो धारित नहीं है अथवा जिसे पृथक से संकलित करना पड़ेगा। ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए अपील को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

26. अपील ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए किये जाने पर, जो निजी सूचना है, तथा जो लोक क्रिया कलाप से संबंधित नहीं है या लोक हित की नहीं है तब सूचना प्राप्त करने के लिए अपील को अस्वीकार करना चाहिए जब तक कि समाधान न हो जावे की सूचना का प्रकटन से वृहत्तर लोक हित है, इसी प्रकार निजता का अतिक्रमण करने वाली सूचना प्राप्त करने के संबंध में की गयी अपील पर बिचार कर उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

सूचना का
अधिकार

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

प्र01. जो 'सूचना ' नष्ट की जा चुकी है क्या उसको प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है?

उत्तर: लोक प्राधिकारी के कार्यालय में अभिलेखों को सुरक्षित रखने की अवधि होती है। उस अवधि के बाद अभिलेख नष्ट कर दिये जाते हैं। नष्ट कर दिये गये अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए अनुरोध करने पर नष्ट कर दिये गये अभिलेखों की 'सूचना' दिये जाने की कोई बाध्यता नहीं है। अनुरोध की गयी सूचना धारित न होने के कारण नहीं दी जावेगी। परन्तु वांछित सूचना को विनिष्ट कर दिये जाने से संबंधित अभिलेख की प्रति की मांग की जा सकती है। अभिलेखों के नष्ट किये जाने से पूर्व सूचना के लिए अनुरोध करने पर अभिलेखों से सूचना उपलब्ध करायी जायेगी यदि वह सूचना धारा 8(4) तथा धारा 9 के अन्तर्गत प्रगटन से निषिद्ध नहीं है।

प्र02. लोक प्राधिकारी के कार्यालय में 'सूचना' कब तक सुरक्षित रखी जानी होती है?

उत्तर: लोक प्राधिकारी के कार्यालय में सूचना तब तक सुरक्षित रखी जानी होती है जब तक के लिए लोक प्राधिकारी पर अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए लागू नियम या निर्देशों में सूचना को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने पर सूचना नष्ट करी जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचनाओं को सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहता है।

प्र03. धारा 8(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधन में किसी घटना, वृत्तान्त या विषय जो सूचना के लिए अनुरोध करने से 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी से सम्बन्धित 'सूचना' उपलब्ध कराने का क्या अर्थ है?

उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के 10 विभिन्न उपखण्डों में ऐसी सूचनाएं जो प्रगटन से छूट प्राप्त हैं के सम्बंध में प्रावधान है। यह सूचनाएं स्थायी रूप से अभिलेखों में सुरक्षित रहती हैं अथवा इनको 20 वर्ष से भी अधिक अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है। उक्त प्रगटन से छूट प्राप्त सूचनाओं में से धारा 8(1) के उपखण्ड (क), उपखण्ड (ग), तथा उपखण्ड (झ), की सूचनाओं को छोड़कर धारा 8(1) के उपखण्ड (ख), उपखण्ड (घ), उपखण्ड (ड.), उपखण्ड(च), उपखण्ड (छ), उपखण्ड (ज) तथा उपखण्ड (ञ) की सूचनाएं घटना, वृत्तान्त या विषय के घटित होने के 20 वर्ष बाद सूचना के लिए अनुरोध करने पर उपलब्ध करायी जावेगी। परन्तु यदि यह

सूचना इस सूचना को सुरक्षित रखने की निर्धारित समय अवधि बाद नष्ट कर दी गयी है तब वह सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता नही है।

प्र04. जो सूचना अभिलेखों में है क्या उससे अनुरोध करी गयी सूचना बनाकर देनी होती है?

उत्तर: नहीं। जो सूचना अभिलेखों में जैसी धारित है वैसी ही 'सूचना' अनुरोध करने पर दी जा सकती है। धारित सूचना को अन्य धारित सूचना के साथ मिलाकर या विश्लेषण करके अनुरोध करी गयी सूचना तैयार नहीं करनी होती है।

प्र05. क्या सूचना के लिए अनुरोध पत्र में किसी विषय पर प्रश्नों के उत्तर, मत या सलाह मांगी जा सकती है?

उत्तर: नहीं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने, मत या सलाह देने का प्राविधान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में नहीं है। केवल धारित सूचना दिये जाने का प्राविधान है।

प्र06. क्या लोक सूचना अधिकारी से सूचना के लिए अनुरोध पत्र में यह अनुरोध किया जा सकता है कि दिये गये विषय और तथ्यों पर जो नियम लागू होते है उसकी प्रति उपलब्ध करायें?

उत्तर: नहीं। सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को स्वयं इच्छित 'सूचना' चिन्हित करनी होगी। लोक सूचना अधिकारी दिये गये विषय और तथ्यों पर कौन सा नियम लागू होता है यह चिन्हित या निर्धारित नहीं करेगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए अनुरोध पत्र में स्पष्ट रूप से चिन्हित सूचना को ही अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायेगा।

प्र07. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत क्या लोक सूचना अधिकारी की सहायता के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर कार्यवाही के लिए सहायता की आवश्यकता होने पर लोक सूचना अधिकारी किसी व्यक्ति की सहायता धारा 5(4) के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी दूरस्थ स्थल यथा तहसील, विकासखण्डों पर नामित करने की व्यवस्था है। सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व सूचना के लिए अनुरोध पत्र, अपील, द्वितीय अपील नागरिकों से प्राप्त होने पर उन्हें प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अथवा विभागीय अपीलीय

अधिकारी अथवा सूचना आयोग को भेजने का है।

प्र08. व्यक्तिगत सूचना जो किसी लोकहित या लोक क्रिया कलाप से सम्बन्धित नहीं है अथवा जो व्यक्तिगत निजता का अतिक्रमण करती हो उसके लिए सूचना के लिए अनुरोध पत्र दिये जाने पर उस पर सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए? व्यक्तिगत सूचना का प्रगटन कब करना चाहिये?

उत्तरः व्यक्तिगत सूचना जो लोकहित या लोक क्रिया–कलाप से सम्बन्धित नहीं है, के लिए सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना के प्रगटन पर अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिये। अवसर दिये जाने पर यदि सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तिगत सूचना के प्रगटन पर अपना पक्ष रखते हुए सूचना के प्रगटन पर आपत्ति करता है तब आपत्ति के आलोक में व्यक्तिगत सूचना के प्रगटन करने का या न प्रगटन करने का निर्णय लिया जाना चाहिये। यदि सम्बन्धित व्यक्ति अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करता तब भी व्यक्तिगत सूचना का प्रगटन करते समय यह देखना चाहिये कि अनुरोधकर्ता ने क्या कोई वृहत्तर जनहित दर्शाया जिसके आलोक में व्यक्तिगत सूचना का प्रगटन किया जाये। यह समाधान होने पर कि सूचना के लिए अनुरोधकर्ता वृहत्तर लोकहित दर्शा पाया है तब ही व्यक्तिगत सूचना का प्रगटन किया जाना चाहिये।

प्र09. किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उसमें पारित दण्डादेश, वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि की सूचना अनुरोध करने पर दी जा सकती है?

उत्तरः अनुशासनिक कार्यवाही तथा उसमें पारित दण्डादेश व्यक्तिगत सूचनाएं हैं जिसका किसी लोक क्रिया–कलाप या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि भी ऐसी व्यक्तिगत सूचना है जिसका किसी लोक क्रिया कलाप या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है। उस व्यक्ति जिसकी यह व्यक्तिगत सूचनाएं हैं उनको छोड़कर अन्य सूचना के लिए अनुरोधकर्ताओं द्वारा जब तक इस व्यक्तिगत सूचना के प्रगटन के लिए वृहत्तर जनहित नहीं दर्शाया जाता इन सूचनाओं का प्रगटन नहीं किया जावेगा।

प्र010. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए सूचना हेतु शुल्क की मांग एक सप्ताह के बाद करना क्या अनुचित है?

उत्तरः नहीं। सूचना प्रदान करने के लिए सूचना शुल्क का मांग पत्र यथासम्भव एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर देना चाहिये। सूचना शुल्क के लिए मांग पत्र प्रेषित करने पर सूचना प्रदान करने के लिए समय की गणना रुक जाती है जो सूचना

के लिए शुल्क जमा होने पर पुनः प्रारम्भ हो जाती है। सूचना के लिए शुल्क मांगने में अधिक दिवस लगा दिये जाने पर सूचना शुल्क जमा होने के बाद सूचना निर्धारित 30 दिन के अन्दर पलब्ध कराने के लिए कम समय बचेगा जिसमें इसकी सम्भावना है कि निर्धारित 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद 'सूचना' अनुरोधकर्ता को प्रेषित हो। सूचना अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन में उपलब्ध न होने पर सूचना निःशुल्क उपलब्ध करानी होती है और लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए रू0 250/-प्रतिदिन की दर से अधिकतम रू0 25,000/- की शास्ति आरोपण का पात्र भी हो सकता है।

प्र011. क्या सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए मांगे गये शुल्क को भुगतान किये बिना अपीलार्थी द्वारा विभागीय अपील विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है?

उत्तरः लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए मांगे गये शुल्क के अनुचित रूप से अत्यधिक होने के बिन्दु पर विभागीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगे गये शुल्क पर कोई आपत्ति न होने पर अनुरोधकर्ता सूचना हेतु शुल्क जमा कराये बिना विभागीय अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। ऐसी अपील जो सूचना हेतु मांगे गये शुल्क के विषय पर न होकर अन्य कारणों से हो, ऐसी विभागीय अपील अपरिपक्व एवं अपोषणीय होने के कारण विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा खण्डित कर दी जानी चाहिये।

प्र012. क्या सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के लिए मांगा गया शुल्क भुगतान किये बिना विभागीय अपील में अनुरोध करी गयी सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश उचित है?

उत्तरः नहीं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना हेतु मांगा गया शुल्क भुगतान किये बगैर सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश अनुचित है। सूचना के लिए सूचना शुल्क का मांग पत्र प्रेषित करने के साथ सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिन की अवधि की गणना रूक जाती है जो शुल्क जमा करने पर पुनः शुरू होती है। सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधानित अवधि के अन्दर विभागीय अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती तथा सूचना उपलब्ध कराने के लिए

प्रावधानित अवधि पूर्ण होने से पूर्व सूचना निःशुल्क नहीं उपलब्ध करायी जा सकती।

प्र013.तीसरे पक्ष की सूचना अनुरोध किये जाने पर तीसरे पक्ष को सूचना का प्रगटन के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये बगैर अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है?

उत्तरः नहीं। तीसरे पक्ष की सूचना जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, के लिए अनुरोध किये जाने पर 'सूचना' अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा दी जाये या नहीं इस बिन्दु पर अपना पक्ष रखने का अवसर 'तीसरे पक्ष' को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिये। उक्त अवसर दिये जाने पर 'तीसरे पक्ष' ने उक्त पर जो प्रतिवेदन दिया है उसे ध्यान में रखकर ही 'तीसरे पक्ष' से सम्बन्धित सूचना के प्रगटन पर निर्णय लिया जाना चाहिये।

प्र014.लोक प्राधिकारी द्वारा धारित तीसरे पक्ष की कौन सी सूचना प्रगट नहीं की जानी चाहिये?कौन सी प्रगट की जा सकती है?

उत्तरः व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातें जो विधि द्वारा संरक्षित है का प्रगटन नहीं किया जावेगा। उक्त के सिवाय अन्य 'तीसरे पक्ष' की सूचनाए तभी प्रगट की जा सकती हैं जब तीसरे पक्ष की उन सूचनाओं का प्रगटन तीसरे पक्ष को सम्भावित क्षति से वृहत्तर लोकहित सधता हो।

प्र015.क्या तीसरा पक्ष जिसने सूचना का प्रकटन करने पर आपत्ति की है उसकी आपत्ति के बाद भी सूचना के प्रकटन के विरूद्ध अपील कर सकती है?

उत्तरः जी हाँ। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन से पूर्व तीसरे पक्ष से सूचना के प्रकटन पर आपत्ति आमंत्रित करता है। यदि आपत्ति प्राप्त होने पर भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रकटन का निर्णय लेता है तब लोक सूचना अधिकारी अपने निर्णय की नोटिस तीसरे पक्ष को देगा जिसमें तीसरे पक्ष को यह बताया जायेगा कि तीसरा पक्ष उस निर्णय के विरूद्ध सूचना आयोग में धारा 19 के अन्तर्गत अपील कर सकता है।

प्र016.सूचना के लिए अनुरोध पत्र में क्या ऐसी सूचना मांगी जा सकती है जो एक वृहत संगठन या विभाग की विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में धारित है तथा जहां प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के लिए पृथक–पृथक लोक सूचना अधिकारी नामित हों?

उत्तरः नहीं। वृहत संगठन/विभाग की प्रशासनिक इकाई जिनके लिए लोक सूचना अधिकारी नामित हैं उसमें प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी जिस प्रशासनिक

इकाई के लिए वह लोक सूचना अधिकारी नामित है अपनी प्रशासनिक इकाई में ही धारित सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए नामित है। सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को प्रत्येक प्रशासनिक इकाई से पृथक–पृथक सूचना के लिए अनुरोध करना चाहिये। किसी एक प्रशासनिक पर सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासनिक इकाई को अपने कार्यालय में धारित सूचना देने पर विचार करना चाहिये तथा शेष से उन प्रशासनिक इकाईयों में धारित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए अनुरोध पत्र अनुरोधकर्ता को लौटा दिया जाना चाहिये।

प्र017. क्या सूचना के लिए अनुरोध पत्र किसी विभाग/संगठन के उच्चतर कार्यालय में प्रेषित किये जाने पर अथवा दिये जाने पर सूचना के लिए अनुरोध पत्र को संगठन/विभाग की उस प्रशासनिक इकाई को भेजना चाहिये जहां सूचना धारित है? अथवा अपने से नीचे प्रक्रम के कार्यालय पर और इस प्रकार कई कार्यालयों से होता हुआ सूचना के लिए अनुरोध पत्र उस प्रशासनिक इकाई जहां सूचना धारित है उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिये?

उत्तरः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर प्रक्रम के कार्यालय जहां सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है वहां से सूचना के लिए अनुरोध पत्र सीधा उस प्रशासनिक इकाई को अन्तरित करा जाना चाहिये जहां सूचना धारित है। उच्चतर प्रक्रम के कार्यालय से उससे नीचे के प्रक्रम के कार्यालय को तथा उसके द्वारा अपने से ठीक नीचे के प्रक्रम के कार्यालय का सूचना के लिए अनुरोध पत्र का अन्तरण अनुचित और विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) में सूचना के लिए अनुरोध पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, दूसरे कार्यालय से तीसरे कार्यालय और इसी प्रकार आगे सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरण का प्रावधान नहीं है।

प्र018. जब सूचना के लिए अनुरोध पत्र में कई लोक प्राधिकारियों के कार्यालयों में धारित सूचना के लिए अनुरोध किया गया हो तब अन्य सभी लोक प्राधिकारियों को सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित करना चाहिये?

उत्तरः नहीं। लोक सूचना अधिकारी अपने लोक प्राधिकारी कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराने पर विचार करें। अन्य लोक प्राधिकारियों से उनके कार्यालय में धारित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र

की प्रति भेज दें। सूचना के लिए अनुरोध पत्र में आंशिक रूप से सूचना अन्य लोक प्राधिकारी की है तब सूचना के लिए अनुरोध पत्र उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित कर दिया जावे। यदि लोक सूचना अधिकारी को यह भली–भांति नहीं ज्ञात है कि आंशिक सूचना किस अन्य लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित है तब सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित न करके उस आंशिक सूचना को प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को वापस कर दें। अनुमान के आधार पर सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करना स्वस्थ और उचित परिपाटी नहीं है।

प्र019. क्या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी विद्यालय लोक प्राधिकारी है?

उत्तर: जी हां। राज्य सरकार द्वारा मासिक रूप से शिक्षकों के वेतन भुगतान आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालय लोक प्राधिकारी है।

प्र020. क्या ऐसे निजी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है द्वारा धारित सूचनाएं सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर: निजी संस्थान अथवा गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार के प्रभावी नियंत्रण में हों या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हों वह लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित हो जावेगा। उक्त से इतर निजी संस्थान जिन पर राज्य सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित नहीं है वह लोक प्राधिकारी नहीं है। ऐसे निजी संस्थान जो लोक प्राधिकारी नहीं है उनकी जिस सूचना तक किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच है, तब निजी संस्थान की उस 'सूचना' को अनुरोधकर्त्ता सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत करके उस सूचना को प्राप्त कर सकता है। परन्तु ऐसे निजी संस्थान जो लोक प्राधिकारी नहीं है उनकी ऐसी सूचना जो किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच में नहीं है वह सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। निजी संस्थान अथवा गैर सरकारी संगठन जो लोक प्राधिकारी नहीं है उन्हें सूचना के लिए अनुरोध पत्र देने पर उनके द्वारा सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं तथा कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

प्र021. क्या निजी विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना राज्य विधान सभा द्वारा गठित अधिनियम से हुआ है वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित है?

उत्तर: जी हॉं। कोई संस्था जिसकी स्थापना राज्य विधान सभा द्वारा गठित अधिनियम

के द्वारा हुई है वह लोक प्राधिकारी है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित है। वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वालों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करके व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।

प्र022. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में निजी संस्थान की सूचना मांगने पर लोक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित निजी संस्थान के प्रबन्धक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित करा जाता है। क्या यह उचित है?

उत्तरः जी नहीं। निजी संस्थान जो लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं आता तथा जिस निजी संस्थान की अनुरोध की गयी सूचना तक किसी अन्य कानून में किसी लोक प्राधिकारी को पहुंच नहीं है, वह सूचना निजी संस्थान से प्राप्त नहीं की जा सकती है। निजी संस्थान ऐसी कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस कर देना चाहिये और उसे बता देना चाहिये कि अनुरोध की गयी सूचना उन्हें सुलभ नहीं हो सकती।

प्र023. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना मांगी गयी हो जो धारित नहीं है तब अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर उत्तर देना आवश्यक है कि सूचना धारित नहीं है ?

उत्तरः हां। सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर उसके प्राप्त होने पर यथाशीघ्र विचार करके सूचना देने अथवा न देने के समबन्ध में निर्णय लिया जाना चाहिये। सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुरोध पत्र पर विचार कर निर्णय न लेने से यह समझा जायेगा कि सूचना के लिए अनुरोध अस्वीकार किया गया है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र अस्वीकार करने के औचित्य पूर्ण कारण न होने पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही हो सकती है। सूचना धारित न होने पर अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध को अस्वीकार करने का औचित्य पूर्ण कारण अनुरोधकर्ता को बता दिये जाने पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही नहीं होगी।

प्र024. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं सुलभ न हो रही हो तो क्या करना चाहिये ?

उत्तरः 1. जो अनुरोध की गयी सूचना उपलब्ध है उसको अनुरोधकर्ता को प्रक्रियानुसार कार्यवाही पूर्ण करके दे दिया जावे। जो सूचनाएं सुलभ नहीं हो रही है उनको कार्यालय में सम्यक रूप से ढूंढा जाये और सूचनाएं सुलभ होने में सफल नहीं होनें पर अनुरोधकर्ता को स्थिति से अवगत करा दिया जाये।

2. जो सूचना सुलभ नहीं हो रही है उसको पुर्नगठित करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करे जावे।

प्र025. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में किसी व्यक्ति की निजी सूचनाएं उसके पति / पत्नी / पिता / भाई / बहन आदि द्वारा मांगे जाने पर वह व्यक्तिगत सूचना समबन्धित अनुरोधकर्ता को दी जानी चाहिये?

उत्तरः निजी सूचनाएं किसी संबंधी या अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अनुरोध पर वैसे ही विचार किया जावेगा जैसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की निजी सूचनाओं के लिए अनुरोध करने वाले सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर किया जाता है। निजी सम्बन्धों को ध्यान में नहीं रखा जावेगा।

प्र026. क्या किसी सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार एक प्रारूप (format) गठित कर उस प्रारूप पत्र के स्तम्भो के अनुसार सूचना मांगने पर उस प्रारूप पत्र के अनुसार सूचना गठित करके उपलब्ध करायी जावेगी ?

उत्तरः जी नहीं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए जो प्रारूप बनाया है सूचना उस प्रारूप के अनुसार धारित होने पर प्रारूप के अनुसार उपलब्ध करायी जावेगी अन्यथ नहीं। लोक प्राधिकारी कार्यालय में सूचना जिस रूप में धारित है उस रूप में सूचना के लिए अनुरोधकर्ता सूचना प्राप्त करके स्वयं अपने सुविधानुसार प्रारूप पत्र पर सूचना तैयार कर सकता है।

प्र027. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना मांगे गये प्ररूप (form) में उपलब्ध करायी जायेगी या जिस प्ररूप (form) में सूचना लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित है ?

उत्तरः सूचना यथा सम्भव उस प्ररूप (form) में उपलब्ध करायी जावेगी जिस प्ररूप (form) में अनुरोधकर्ता ने सूचना मांगी है। यदि अनुरोध किये गये प्ररूप (form) में सूचना उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के स्रोतो को अननुपातिक रूप से विचलित कर देगी या यह अभिलेखों की सुरक्षा या उसके संरक्षण के लिए हानिकारक है तो सूचना उस प्ररूप (form) में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। किसी अभिलेख जिसकी फोटो कापी करने में ऊष्मा और ताप से वह अभिलेख नष्ट हो सकता है तब उस अभिलेख की फोटो कापी नहीं दी जावेगी। केवल उस अभिलेख का निरीक्षण कराया जावेगा। किसी सूचना की फोटो प्रतिया उपलब्ध कराने के लिए फोटो प्रतियों के लिए जो धनांवटन उपलब्ध है वह पर्याप्त नहीं है और सूचना सी0 डी0 के रूप में रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है तब सूचना फोटो प्रतियों के स्थान पर सी0 डी0 में उपलब्ध करयी जावेगी।

प्र028. 'सूचना' में अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग अनुरोधकर्ता द्वारा किये जाने पर क्या अभिलेखों की प्रतिलिपि को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर देना होगा ?

उत्तरः 'सूचना' में अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि 'सूचना' के रूप अनुरोधकर्ता द्वारा मांगे जाने पर अभिलेखों की प्रतिलिपियों को लोक सूचना अधिकारी या उस व्यक्ति/पदाधिकारी जिसकी अभिरक्षा में संबंधित अभिलेख द्वारा प्रमाणित करना पर्याप्त है।

प्र029. क्या विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा विभागीय अपील निस्तारण के लिए सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को विभागीय अपील की सुनवायी में उपस्थित होने के लिए कहना चाहिये ?

उत्तरः जी नहीं। विभागीय अपील की सुनवायी की तिथि, समय और स्थान की सूचना से अनुरोधकर्ता–अपीलार्थी को सूचित किया जाना चाहिये। अनुरोधकर्ता–अपीलार्थी उपस्थित आकर अपील पर मौखिक रूप से कथन करता है अथवा करना चाहता है तो उसे इसका अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु विभागीय अपील की सुनवायी में अपीलार्थी उपस्थित नहीं आता तब अपील पत्र में दिये गये तथ्यों तथा सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा उसके विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर व उपलब्ध करायी गयी सूचना का परीक्षण करके विभागीय अपील का निस्तारण कर देना चाहिए।

प्र030. विभागीय अपील का निस्तारण कितने दिन में करा जाना आवश्यक है? निर्धारित अवधि में अपील का निस्तारण न करने पर क्या परिणाम होंगे?

उत्तरः विभागीय अपील विभागीय अपील प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर निस्तारित कर दी जानी चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए 15 दिन की अवधि और बढ़ायी जा सकती है। 45 दिन की अवधि के बाद विभागीय अपील का विचारण एवं निस्तारण विभागीय अपील अधिकारी नहीं कर सकेंगे।

प्र031. एक कानून में कुछ अभिलेखों को प्रकाशित न करने का प्रावधान है परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उन अभिलेखों को प्रकाशित करने से रोका नहीं गया है। क्या उन अभिलेखों को प्रकाशित किया जा सकता है?

उत्तरः जी हां। अभिलेखों को प्रकाशित करना उचित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को अध्यारोही प्रभाव दिया गया है। किसी अन्य

कानून में किसी अभिलेख के प्रकाशन को रोका गया हो परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उन अभिलेखों को प्रकाशन से नहीं रोका गया है। तब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार अभिलेखों को प्रकाशित करना विधिसम्मत होगा। अभिलेखों के प्रकाशन को रोका नहीं जावेगा।

प्र032. एक व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से बहुत सी सूचना की प्रतियां बहुत बार अनुरोध कर रहा है अथवा कई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से बहुत सी सूचना की प्रतियां बहुत बार अनुरोध कर रहे हैं तब अनुरोध करी गयी सूचना की प्रतियां प्रत्येक अनुरोध के विरूद्ध उपलब्ध कराना आवश्यक/अनिवार्य होगा?

उत्तरः 1. नहीं। लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध के विरूद्ध सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक प्राधिकारी के बजट और संसाधन को ध्यान में रखना होगा। सूचनाएँ जिनका अनुरोध किया गया है उनकी प्रतियां उपलब्ध कराने में प्रतियां कराने में आ रहा व्यय निर्धारित/आवंटित बजट के अनुपाती है अथवा नहीं। क्या सूचनाओं की प्रतियां तैयार कराने में फोटोमशीन का अत्यधिक समय व फोटो प्रतियां तैयार करने के लिए कार्मिकों का अत्यधिक समय उसमें उपयोग हो रहा है? क्या लोक प्राधिकारी के कार्यालय का नैत्यक संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है? यदि हां तब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानों के अनुसार सूचना के लिए अनुरोधकर्ताओं को सूचना के अभिलेखों का निरीक्षण कराकर सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करायी जा सकती है अथवा सूचना कम्प्यूटर पर हो तो सी0डी0 में सूचना भरकर उपलब्ध करायी जा सकती है। अभिलेखों की छाया प्रतियां, प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। उक्तानुसार अभिलेखों का निरीक्षण कराना या सी0डी0 पर अभिलेख की सूचना उपलब्ध कराना पर्याप्त और विधिसम्मत है।

2. लोक प्राधिकारी के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सूचना की अधिक मांग को देखते हुए ऐसी सूचनाओं को स्कैन करके या अन्यथा सूचनाएं कम्प्यूटर पर रखी जाने की व्यवस्था कर ली जावे ताकि अनुरोध करी गयी सूचनाएं सी0डी0 में भर कर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जा सके।

सूचना का
अधिकार

सूचना के लिए अनुरोधकर्ता के लिए निर्देश

1. सूचना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। संस्थान या निकाय भारत के नागरिक नहीं है। संस्थान या निकाय के पदाधिकारी सूचना का अधिकार के अन्तर्गत संस्थान या निकाय के लिए सूचना नहीं मांग सकते हैं। संस्थान या निकाय के पदाधिकारी एक व्यक्ति के रूप में स्वयं के लिए सूचना मांग सकते हैं।

2. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी (धारा–2(ज) में परिभाषित) के कार्यालय में धारित सूचना ही मांगी जा सकती है। जो सूचना लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित नहीं है वह सूचना मांगने पर उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

3. लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत राज्य सरकार के कार्यालय, नगर निकाय, ग्राम पंचायत, निगम, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित संस्थान या निकाय, अनुदानित विद्यालय, अनुदानित गैर सरकारी संगठन आदि हैं। उक्त सूची प्रदर्शन के रूप में है। धारा–2(ज) में लोक प्राधिकारी परिभाषित है। ऐसे अन्य संस्थान या निकाय जो उक्त परिभाषा से आच्छादित होते हैं वे लोक प्राधिकारी हैं।

4. सूचना का अनुरोध पत्र उस लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को देना चाहिए या भेजना चाहिए, जिस लोक प्राधिकारी के कार्यालय में सूचना धारित है।

5. सूचना उपलब्ध करने के लिए एक लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित सूचना के लिए अनुरोध करना चाहिए। एक अनुरोध पत्र में कई लोक प्राधिकारियों के कार्यालय में धारित सूचना नहीं मांगनी चाहिए। विभिन्न लोक प्राधिकारियों के कार्यालय में धारित सूचना के लिए अनुरोध देने पर अन्य लोक प्राधिकारी कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों को सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरण न ही होगा और न ही सूचना दियी जायेगी।

6. किसी विभाग के उच्चतर कार्यालय को सूचना उपलब्ध करने का अनुरोध उसके अधीन विभिन्न कार्यालयों में धारित सूचना के लिए नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों को सूचना के लिए अनुरोध पत्र पृथक–पृथक देकर अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त करी जा सकती है।

7. सूचना जो मांगी गयी है उसका शुल्क तथा सूचना को अनुरोधकर्ता को पहुंचाने का शुल्क सूचना के लिए अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर कभी भी मांगा जा सकता है। सूचना जो अनुरोध की गयी है उसका शुल्क तथा सूचना अनुरोधकर्ता को पहुंचाने का शुल्क (सम्मिलित रूप से जिसे अतिरिक्त शुल्क कहते हैं) अदा करने पर ही सूचना अनुरोधकर्ता को

उपलब्ध करायी जा सकती है।

8. अनुरोधकर्ता का सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के बाद सूचना के शुल्क व अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं करी जा सकती है।

9. अनुरोध की गयी सूचना के लिए समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क मांगे जाने पर उसे जमा किये बिना विभागीय अपील नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त शुल्क की मांग होने पर विभागीय अपील केवल इस बिन्दु पर ही हो सकती है कि सूचना के लिए जो अतिरिक्त शुल्क मांगा जा रहा है वह अत्यधिक या अनुचित है।

10. अनुरोधकर्ता को जो सूचना लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित है, अनुरोध करने पर उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर देने की व्यवस्था सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राबधानित नहीं है। कतिपय परिस्थितियां बताते हुए उसके लिए दोषी कौन है, जैसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं दिया जावेगा। ऐसे ही कतिपय परिस्थितियां बताते हुए लोक सूचना अधिकारी का उस पर मत मांगने पर मत देने की कार्यवाही नहीं किथी जायेगी। अतः सूचना का अनुरोध पत्र प्रश्न के रूप में तथा मत देने के रूप में नहीं प्रेषित किया जा सकता है। केवल धारित सूचना जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

11. कभी–कभी अनुरोधकर्ता सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारूप पत्र गठित करके उस पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहते हैं। यह उचित नहीं है। प्रारूप पत्र के अनुरूप सूचना देने के लिए धारित सूचना का विश्लेषण करके प्रारूप पत्र के अनुसार नयी सूचना बनायी जाती है। अतः धारित सूचनाओं का विश्लेषण अथवा नयी सूचना गठित करके अनुरोधकर्ता को देने का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम में नहीं है।

12. अनुरोधकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति की ऐसी सूचनाएं जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित हो तथा उस सूचना का किसी लोक क्रियाकलाप या लोकहित से सम्बन्ध न हो अथवा अनुरोध की गयी सूचना से किसी की निजता का अनावश्यक अतिक्रमण होता हो, तब अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र में यह भी बताना चाहिए कि मांगी गयी सूचना उन्हें उपलब्ध कराने से किस प्रकार वृहत्तर जनहित की पूर्ति होती है। अनुरोधकर्ता यदि वृहत्तर जनहित बता पाने में असमर्थ रहते हैं, तब उनको अनुरोध की गयी सूचना धारा–8(1) (ज) के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं दी जावेगी। उदाहरण के लिए किसी सरकारी कर्मी के आवास का पता, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण, वार्षिक चरित्र प्रवृष्टियां आदि तभी अनुरोधकर्ता को दी जायेगी जब वह इनको उपलब्ध कराने से किसी वृहत्तर जनहित की पूर्ति स्पष्ट कर सके।

13. सूचना के अनुरोध पत्र में सूचना के बहुत से बिन्दु गठित हों और सभी बिन्दुओं पर सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क का विवरण अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराया गया हो, तब उसे यह छूट नहीं है कि कुछ बिन्दुओं की सूचना का अतिरिक्त शुल्क जमा कर उन बिन्दुओं की सूचना प्राप्त करें। उसे सभी बिन्दुओं का अतिरिक्त शुल्क जमा कराकर पूर्ण सूचना प्राप्त करनी होगी। यदि वह कुछ बिन्दुओं की सूचना का इच्छुक हो, तब वह नया सूचना का अनुरोध केवल उन बिन्दुओं की सूचना के लिए देकर तथा अतिरिक्त शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

14. स्पष्ट रूप से चिन्हित सूचना मांगनी चाहिए। कुछ तथ्यों का उल्लेख करते हुए उन पर लागू नियम/अधिनियम/शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने की मांग करना अनुचित है। लोक सूचना अधिकारी से अपने विवेक से उल्लेख किये गये तथ्यों के आधार पर नियम/अधिनियम/शासनादेश चिन्हित करने की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप में लोक सूचना अधिकारी से मत मांगना है जो सूचना के अधिकार में प्राविधानित नहीं है।

15. सूचना का अनुरोध पत्र भेजने की तिथि से 30 दिन में सूचना न मिलने पर विभागीय अपील करना उचित नहीं है। सूचना का अनुरोध पत्र जिस दिन लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ, उससे 30 दिन के अन्दर सूचना न मिलने पर अपील की जा सकती है। विभागीय अपील को अपील प्राप्त होने से अधिकतम 45 दिन के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। उक्त अवधि में विभागीय अपील निस्तारित न होने पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अवधियों की गणना कब विभागीय अपील अपीलीय अधिकारी को भेजी गयी, से नहीं करनी चाहिए। विभागीय अपील पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को जिस दिन प्राप्त हुआ, उस दिन से अवधियों की गणना की जाती है।

16. विभागीय अपील या द्वितीय अपील पत्र में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी, उससे सन्तुष्ट न होना, सूचना अपूर्ण या सूचना भ्रामक कहना पर्याप्त नहीं है। अनुरोधकर्ता/अपीलार्थी को विभागीय अपील अथवा द्वितीय अपील में सूचना के अनुरोध पत्र के जिस बिन्दु की सूचना में जो अपूर्णता, असत्यता या भ्रामकता है उसे सुस्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। अपीलीय अधिकारी को अथवा आयोग को अपील पत्र में सुस्पष्ट रूप से सन्तुष्ट न होने का आधार न बताये जाने पर अपील में अनुरोधकर्ता का पक्ष सुस्पष्ट रूप से न रखे जाने के कारण अपील सफल नहीं होगी।

17. सूचना के अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आंशिक रूप से लोक सूचना अधिकारी "क" तथा आंशिक सूचना लोक सूचना अधिकारी "ख" द्वारा दी जानी है, तब सूचना के अनुरोध पत्र की सम्पूर्ण सूचना के लिए एक विभागीय अपील

और एक द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अपील केवल उसके अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है। दो लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना न मिलने पर केवल उस अपीलीय अधिकारी को अपील नहीं की जायेगी, जिसके लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध पत्र दिया गया है। यदि दोनों लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना पूर्ण रूप से नहीं दी है, तब दो विभागीय अपीलें उनके विभागीय अपीलीय अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। यदि केवल एक लोक सूचना अधिकारी ने सूचना पूर्णरूप से नहीं दी है, तब केवल उसके विभागीय अपीलीय अधिकारी को विभागीय अपील प्रस्तुत की जावेगी। दो पृथक विभागीय अपीलों से सन्तुष्ट न होने पर दो द्वितीय अपीलें आयोग को प्रेषित की जावेंगी। यदि एक अपील के आदेश से सन्तुष्टि नहीं है तब उसके विरूद्ध ही द्वितीय अपील आयोग में प्रस्तुत की जायेगी।

18. सूचना के लिए अनुरोधकर्ता सूचना न प्राप्त होने पर या अपूर्ण या भ्रामक या असत्य प्राप्त होने पर सूचना प्राप्त करने के लिए विभागीय अपील उपरान्त द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

19. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत धारा–18 के अन्तर्गत शिकायत सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त न करने, सूचना अपूर्ण या असत्य या भ्रामक देने, अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्तर्गत कोई उत्तर न देने, सूचना के लिए शुल्क व अतिरिक्त अत्यधिक या अनुचित मांगे जाने पर शिकायत सूचना अयोग में प्रस्तुत करके लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही करा सकता है। परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत करके अनुरोध की गयी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुरोध की गयी सूचना प्राप्त करने के लिए विभागीय अपील एवं उसके उपरान्त द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त न करने, सूचना अपूर्ण, असत्य या भ्रामक देने के लिए, सूचना के लिए शुल्क व अतिरिक्त शुल्क अत्यधिक या अनुचित मांगने के लिए शास्ति भी आरोपित की जा सकती है।

सूचना का
अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाएं

नोटः—मा0 उच्चतम न्यायालय की व्यवस्थाए संक्षिप्त एवं शुद्ध रूप में अंकित करने का प्रयास किया गया है। परन्तु पाठक मा0 उच्चतम न्यायालय के अंग्रेजी मूल पाठ के आधार पर ही व्यवस्थाओं की समझ बनायें।

1. विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या 34868 सन2009 खानापुरम गांदहिया प्रति एडमिनिस्ट्रेयल आफिसर व अन्य निर्णीत दिनांक 04.01.2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2(च) में 'सूचना' की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए व्यवस्था दी कि सूचना के लिए अनुरोधकर्ता धारा 6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वह सूचना प्राप्त कर सकता है जो अस्तित्व में है और विधि के प्राविधानो के अन्तर्गत उस तक पहुंच हो सकती है। सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना के लिए अनुरोधकर्ता मत, सलाह, परिपत्र, आदेश इत्यादि की प्रति प्राप्त कर सकता है परन्तु वह यह सूचना के रूप में यह नही मांग सकता कि मत, सलाह, परिपत्र तथा आदेश इत्यादि क्यों पारित किया गया है।

2. सिविल अपील संख्या 6454 सन् 2011 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन व अन्य प्रति आदित्य बन्धोपाध्याय व अन्य निर्णीत दिनांक 09.08.2011 में मा0 उच्चतम न्यायालय सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण तथा उसकी परीक्षा उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन के लिए मांग करी। अनुरोधकर्ता का परीक्षा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किये जाने के बिन्दु का अध्ययन–विश्लेषण मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अन्य अधिनियमों पर अध्यारोही प्रभाव दिया गया है। उक्त कारण से परीक्षा उत्तर पुस्तिका की निरीक्षण के सम्बन्ध में परीक्षा के नियमों में जो व्यवस्था है उस पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अध्यारोही प्रभाव रहेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परीक्षा उत्तर पुस्तिका निरीक्षण करना प्रकटन से छूट प्राप्त होगा तभी परीक्षा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण अस्वीकार किया जा सकेगा।

2.1. मा0 उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ड.) में किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना के प्रकटन के प्रावधान का परीक्षण किया है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि परीक्षा आयोजित करने वाली निकाय परीक्षार्थी के प्रति वैश्वासिक नातेदारी नही रखती है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने नियोक्ता और कर्मी के बीच परस्पर वैश्वासिक नातेदारी का उदाहरण देते हुए कहा है कि कर्मी

का व्यक्तिगत विवरण जिसे वह गोपनीय रखना चाहता है नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर नियोक्ता द्वारा प्राप्त सूचना को वैश्वासिक नातेदारी में दी गयी सूचना के रूप में गोपनीय रखा जायेगा।

2.2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षकों के नाम व अन्य विवरण की सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा के प्रावधान के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है।

2.3. मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया सूचना तक पहुंच का सूचना का अधिकार परीक्षक निकाय द्वारा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका रखने की अपेक्षित अवधि तक ही रहता है। सूचना का अधिकार परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए उपलब्ध होने का तात्पर्य यह नही है कि परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं को अपेक्षित अवधि के आगे बनाये रखना है। सूचना का अधिकार के अन्तर्गत कोई सूचना तभी तक प्राप्त की जा सकती है जब तक वह लोक प्राधिकारी के पास धारित है।

2.4. मा0 उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(3) के प्राविधानो का निर्वहन करते हुए स्पष्ट किया कि जो सूचना धारा 8 (1) के उपखण्ड (ख), (घ), (ड), (च), (छ), (ज) तथा (ञ) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है और 20 वर्ष से अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा रही है उस सूचना का 20 वर्ष के बाद प्रकटन किया जा सकता है। धारा 8 (1) के उपखण्ड (क), (ग), एवं (झ) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना 20 वर्ष के बाद भी प्रकट नही की जायेगी। लोक प्राधिकारी की ऐसी सूचना जो 20 वर्ष से पूर्व नियमों के अनुसार नष्ट की जानी होती है ऐसी सूचना को नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर नष्ट किया जायेगा, उसे 20 वर्ष या उसके बाद सुरक्षित नही रखा जायेगा। धारा 8(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिलेख विनिष्टीकरण के नियमों पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रखता है।

2.5. मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना तक पहुंच उस सूचना के लिए प्राविधानित करता है जो लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध है तथा अस्तित्व में है। जहां अनुरोध की गयी सूचना लोक प्राधिकारी के अभिलेख का हिस्सा नहीं है तथा वह सूचना किसी कानून, नियम या लोक प्राधिकारी के विनियमों के अन्तर्गत नही रखनी होती है तब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकारी पर यह दायित्व नही डालता कि इस अनुपलब्ध सूचना का संग्रह करें उन्हें मिलाये और तब अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जाये। लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना देने की अपेक्षा भी नही है जिसके लिए निष्कर्ष

(inference) निकाले जायें अथवा कुछ तथ्यों को मानने की कार्यवाही की जाये। (making of assumptions)

2.6. सूचना के लिए अनुरोधकर्त्ता को कोई मत या सलाह नहीं दी जानी होती है। सूचना की परिभाषा में मत और सलाह का उल्लेख लोक प्राधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध सामग्री रूप में मत या सलाह से है। कुछ लोक प्राधिकारी जन सम्पर्क के प्रयोजन से मत, सलाह स्वेच्छा से देते है परन्तु इससे यह भ्रम नही होना चाहिए कि मत, सलाह या मार्गदर्शन देना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी का दायित्व है।

3. विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या 27734 सन् 2012 गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे प्रति केन्द्रीय सूचना आयोग व अन्य निर्णीत 03.10.2012 तथा सिविल अपील संख्या–सन् 2013 आर. के. जैन प्रति यूनियन आफ इंडिया व अन्य निर्णीत 16.04.2013 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत सूचनाएं जो किसी लोकहित या लोक क्रियाकलाप से सम्बन्धित नहीं है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ञ) के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रगटन से छूट प्राप्त है उन सूचनाओं के लिए अनुरोध किये जाने पर उस व्यक्तिगत सूचना को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं दी हैं।

3.1. गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे के मामले में एक अधिकारी की विभिन्न व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी गयी थीं। लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्त्ता को उस अधिकारी के नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश तथा स्थानान्तरण आदेशो की प्रतियां उपलब्ध करायी गयी। वेतन, चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा, अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस, भर्त्सना, जो उपहार, प्राप्त किये, आरोप पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत जांच रिर्पोट को लोकहित व लोक क्रिया कलाप से सम्बन्धित न होने के कारण तथा निजता का अनावश्यक अतिक्रमण के आधार पर धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानो के संन्दर्भ में सूचना अनुरोधकर्त्ता को नही उपलब्ध करायी गयी।

3.2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अधिकारी के स्पष्टीकरण हेतु नोटिस, भर्त्सना / दण्ड को धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूचना माना। मा0 उच्चतम न्यायालय ने किसी कर्मी की संगठन में कार्यकुशलता नियोक्ता और कर्मी के बीच का मामला माना। इनका प्रकटन व्यक्ति की निजता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा। लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी यह समाधान होने पर कि इन सूचनाओं के प्रकटन बृहत्तर जनहित में है इनका प्रगटन कर सकता है। परन्तु अनुरोधकर्ता इस सूचना को अधिकार स्वरुप नही प्राप्त कर सकता है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि इन्कम टैक्स रिटर्न व्यक्तिगत सूचना है जो धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रकटन

से छूट प्राप्त है। कर्मी की सम्पत्ति, प्राप्त उपहार, निवेश आदि की सूचनाएं वार्षिक आय विवरणी की सूचनाएं है। सम्पत्ति, उपहार, निवेश आदि की सूचनाएं धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों से आच्छादित है। अनुरोधकर्ता द्वारा लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी का समाधान करने पर कि इस व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन वृहत्तर लोक हित में है लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन का निर्णय ले सकता है।

3.3. मा0 उच्चतम न्यायालय ने आर. के. जैन के मामले जिस में एक लोक सेवक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को व्यवहृत करने वाली पत्रावली की नोट शीट व पत्राचार की प्रतियां मांगी गयी, उस पत्रावली के निरीक्षण के लिए अनुमति मांगी गयी तथा निरीक्षण में चिन्हित अभिलेखों की प्रतियाँ मांगी गयी थी। लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी ने उक्त सूचना व्यक्तिगत सूचना होने के कारण धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होने के आधार पर प्रकटन से अस्वीकार कर दिया। मा0 उच्चतम न्यायालय ने गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे के अपने निर्णय के आलोक में वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि या उससे सम्बन्धित सूचना को व्यक्तिगत सूचना जो लोक हित या लोक क्रिया कलाप से सम्बन्धित नही है, होने के आधार पर धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आच्छादित होने के कारण प्रकटन से छूट प्राप्त होना माना।

3.4. सिविल अपील नं0–9052 सन् 2012 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रति सैयद हुसैन अब्बास रिजवी व अन्य निर्णीत दिनॉक 13.12.2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 8 (1) (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के आधार पर साक्षात्कार चयन परीक्षा में उपस्थित होने वाले विषय विशेषज्ञों के नाम, पते आदि का विवरण लोक सेवा आयोग द्वारा अनुरोधकर्ता को न उपलब्ध कराने के निर्णय को उचित ठहराया है। यह माना गया है कि विषय विशेषज्ञ जो साक्षात्कार द्वारा चयन की परीक्षा में उपस्थित थे उनके नाम, आदि का विवरण अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने से उनके जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती ।

3.5. सिविल अपील न0 9017 सन् 2013 थलप्पालम सर्विस कोआपरेटिव बैंक व अन्य बनाम स्टेट आफ केरल और अन्य निर्णीत दिनॉक 07.10.2013 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य की सहकारी समितियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 2 (ज) में दी गयी परिभाषा के अनुरूप लोक प्राधिकारी नही है की व्यवस्था दी। मा0 उच्चतम न्यायालय ने मामले के परीक्षण में पाया सहकारी समिति धारा 2 (ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी गयी लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अंश (क) (ख) तथा (ग) में नही आती है। सहकारी समितियाँ लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अंश (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी

की गयी अधिसूचना या किए गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था भी नही है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी परीक्षण किया कि क्या सहकारी समितियां धारा 2 (ज) के अंश (घ) के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये निम्नलिखित 2 वर्गों में से किसी वर्ग से आच्छादित है:-

1. कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है।

2. कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है।

4.1 मा0 उच्चतम न्यायालय ने ऐसे निकाय जो सरकार द्वारा नियंत्रित किये जाने के कारण लोक प्राधिकारी हैं की व्याखा करते हुए कहा है कि सरकार का नियंत्रण समुचित रूप से होना चाहिये। किसी अधिनियम द्वारा पर्यवेक्षण या विनियमन सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय नही है। उक्त निकाय धारा 2 (ज) (घ) (प) के अनुसार लोक प्राधिकारी नही होगी। केरल राज्य में सहकारी समितियों पर निबन्धक द्वारा सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण पर्यवेक्षणीय या विनियमित प्रकृति का है। निबन्धक का उक्त सहकारी समितियों के प्रबन्धकीय कार्यकलापों में नियंत्रणकारी हस्तक्षेप नही है। सहकारी समितियों का प्रबन्धन एंव नियंत्रण प्रबन्धन समिति या संचालक मण्डल में निहित है न कि सहकारी समितियों अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी में। मा0 उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि धारा 2 (ज) के उपखण्ड (घ) (प) में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, में 'नियंत्रण' शब्द से आशय है कि नियंत्रण इस प्रकार का हो कि जो निकाय के प्रबन्धन व कार्यकलापों को समुचित रूप से नियंत्रित करें। मा0 उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य की सहकारी समितियों पर सरकार का नियंत्रण समुचित रूप का न होकर केवल पर्यवेक्षणीय और विनियमन का होने के आधार पर धारा 2 (ज) (घ) (प) के अन्तर्गत सरकार के नियंत्रणाधीन निकाय न होने के कारण सहकारी समितियां लोक प्राधिकारी नही हैं, कहा।

4.2 मा0 उच्चतम न्यायालय ने ऐसी निकाय जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित है का परीक्षण व विश्लेषण करते हुए निर्णय में लिखा कि वाक्यांश 'सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित' धारा 2 (ज) (घ) (i) एवं (ii) में प्रयोग हुआ है को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान, छूटें या विशेषाधिकार निकाय को दिया जाना समुचित रूप में वित्त पोषण नही है। जब तक कि वित्त पोशण इस सीमा तक न हो कि निकाय व्यवहार में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये वित्त द्वारा संचालित हो तथा सरकार द्वारा किया जाने वाला वित्त पोषण न होने अथवा बन्द होने पर निकाय को अपने अस्तित्व को बनाये

रखने के लिये संघर्ष करना पड़े। निजी शिक्षण संस्थान जो 95 प्रतिशत वित्तीय सहायता सरकार से प्राप्त कर रही है धारा 2 (ज) (घ) (i) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी हो सकते है।

4.3 माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'गैर सरकारी संगठन' जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित हैं का परीक्षण करते हुए निर्णय में लिखा कि ऐसे गैर सरकारी संगठन जिन पर सरकार का कोई संविदिक (statutory) नियंत्रण नही है परन्तु सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित है वह धारा 2 (ज) (घ) (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होंगे और लोक प्राधिकारी होंगे। परिणामतः गैर सरकारी संगठन जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन नही है परन्तु सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित हो रहे हैं वह धारा 2 (ज) (घ) (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक 'प्राधिकारी' होंगे।

सूचना का
अधिकार

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 - 2676780, [illegible]